44

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

जी. एस. संधवालिया और लपिता बनर्जी से पहले, जे. जे.

शिखा और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य उत्तरदाता 2023 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 19775

20 दिसंबर, 2023

iii) जिन उम्मीदवारों ने प्रक्रिया में भाग लिया और उसे स्वीकार कर लिया है, वे मानदंडों पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं-साथ ही, चयन प्रक्रिया से बहुत पहले मानदंड तय करने के संबंध में पूर्ण न्यायालय का निर्णय-योग्यता-सह-श्रेष्ठता के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए-गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों को मानदंड पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। iv) उच्च न्यायालय की सिफारिशों का पालन करने के लिए राज्य का नैतिक/कानूनी और संवैधानिक दायित्व कानून के इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए है कि अपने स्वयं के अधिकारियों को निर्णय देने के लिए उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर हस्तक्षेप करने के लिए उत्तरदायी नहीं है-सिफारिशों को प्रधानता दी जाएगी और राज्य शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

45

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

सरकार ने सिफारिश को स्वीकार करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से एस. एस. नरूला, अधिवक्ता और सिद्धार्थ ग्रोवर, अधिवक्ता (सीडब्ल्यूपी-23804-2023 में)। विक्रमजीत बनर्जी, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, अभिषेक सिंह, अधिवक्ता, सिद्धार्थ सिन्हा, अधिवक्ता, लोकेश सिंहल, वरिष्ठ अतिरिक्त महान्यायवादी के साथ। ए. जी., हरियाणा, श्रुति जैन गोयल, सीनियर डी. ए. जी. हरियाणा और प्रतिवादी-राज्य के लिए। मुनीशा गांधी, वरिष्ठ अधिवक्ता शुभरीत कौर सरोन, अधिवक्ता, मनवीन नारंग, अधिवक्ता, आकांक्षा गुप्ता के साथ, प्रतिवादी संख्या 3 (उच्च न्यायालय) (सी. डब्ल्यू. पी.-1975-2023 में) और प्रतिवादी संख्या 1 (सी. डब्ल्यू. पी. Nos.22818,23804 और 2023 के 26217 में) के लिए।

(1) वर्तमान निर्णय 2023 की चार रिट याचिकाओं अर्थात सी. डब्ल्यू. पी. Nos.19775,22818,23804 और 26217 का निपटारा करेगा। तथ्य 2023 के सी. डब्ल्यू. पी. No.19775 से लिए जा रहे हैं। (2) उक्त मामले में, याचिकाकर्ता जो हरियाणा राज्य में सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे हैं, संशोधित रिट याचिका दायर करके दिनांकित 12.09.2023 (अनुलग्नक पी-14) को रद्द करने की मांग करते हैं, जिसके तहत राज्य ने हरियाणा राज्य में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 13 व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। नतीजतन, हरियाणा राज्य को 46 के नियम 6 (1) (ए) के तहत अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के 13 पदों की नियुक्ति के लिए आवश्यक आदेश जारी करके 23.02.2023 (अनुलग्नक आर-3/1) पर उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए निर्देश देने के लिए अनिवार्य रिट की मांग की जाती है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(3) यह उल्लेख करना उचित है कि 7 रिट याचिकाकर्ताओं का प्रारंभिक दावा चयनित/अनुशंसित उम्मीदवारों की पदोन्नति के माध्यम से की जाने वाली चयन प्रक्रिया को समाप्त करना था और दिनांकित पत्र (अनुलग्नक पी-2) के अनुसरण में नियुक्तियों की अधिसूचना की मांग की गई थी, जिसके तहत इस न्यायालय द्वारा महापंजीयक के माध्यम से प्रक्रिया शुरू की गई थी, क्योंकि इसी तरह की सिफारिशों के लिए पंजाब राज्य ने दिनांकित आदेश (अनुलग्नक पी-7) के माध्यम से समान रूप से स्थित उम्मीदवारों के लिए आवश्यक आदेश जारी किए थे और पदोन्नति को अधिसूचित किया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 (संक्षेप में 'संविधान') के प्रावधानों को देखते हुए, राज्य सरकार आवश्यक अधिसूचना जारी करने में अपने पैर क्यों खींच रही है, इस बारे में हमारे द्वारा 06.09.2023 पर निर्देश जारी किए गए थे। परिणामस्वरूप, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि इस न्यायालय की सिफारिशों पर बैठने का कारण क्या था। ऐसी परिस्थितियों में, आदेश 12.09.2023 (अनुलग्नक पी-14) पर पारित किया गया था जो अब चुनौती का विषय है। (4) आई. डी. 1 दिनांकित आदेश में जिस तर्क का उल्लेख किया गया है, उसका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है कि राज्य सरकार ने आई. डी. 3 दिनांकित संचार के माध्यम से भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय से कानूनी राय लेने का विकल्प चुना था (अनुलग्नक आर-1/7) आई. डी. 2 और आई. डी. 5 (अनुलग्नक आर-1/9) पर आई. डी. 4 (अनुलग्नक आर-1/8) दिनांकित राय को इस आधार पर अस्वीकृति का आधार बनाया गया था कि यह राज्य सरकार पर बाध्यकारी था और राज्य उच्च न्यायालय की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं था। .. 2007 के नियमों में संशोधन की कमी और रिक्तियों को भरने के लिए अपनाए गए मानदंडों के परामर्श की कमी पर इस न्यायालय के आंतरिक प्रस्ताव दिनांक 30.11.2021 (अनुलग्नक आर-3/2) के माध्यम से इस आधार पर आपत्ति जताई गई कि इसमें बाध्यकारी प्रभाव का अभाव है। संविधान के अनुच्छेद 233 और 2007 के नियमों के नियम 6 (1) (ए) पर एक चूक की गई थी ताकि यह माना जा सके कि उच्च न्यायालय राज्यपाल को अपनी राय देने में मनमाने ढंग से काम कर रहा था। इसलिए, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के पद पर अनुशंसित उम्मीदवारों की पदोन्नति के लिए सिफारिश को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ पठित अनुच्छेद 233 के तहत व्यवस्थित प्रक्रिया का विधिवत पालन नहीं किया गया था।

47

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

(5) जिन चयनित उम्मीदवारों ने 2023 का सी. डब्ल्यू. पी. Nos.22818,23804 और 26217 दाखिल किया है, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इस अदालत द्वारा दिनांक 23.02.2023 पर चयनित उम्मीदवारों की भेजी गई सिफारिश को रद्द करने को चुनौती दी है और चयन प्रक्रिया के परिणाम को भी चुनौती दी है, जिसे दिनांकित 24.08.2022 पत्र के माध्यम से शुरू किया गया था। इसके अलावा भर्ती और पदोन्नति समिति (सुपीरियर ज्यूडिशियरी सर्विसेज) की दिनांकित 11.11.2021 की सिफारिशों और दिनांकित 30.11.2021 (अनुलग्नक पी-6) के प्रस्ताव को भी चुनौती दी गई है, जिसमें वाइवा-वॉयस में 50 प्रतिशत योग्यता अंक निर्धारित किए गए हैं। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय को 2007 के नियमों के नियम 6 (1) (ए) के तहत अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के पद पर पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंकों के मानदंड और 2007 के नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में निर्देश देने के लिए अनिवार्य रिट की मांग की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने के लिए हरियाणा राज्य के खिलाफ निषेध की एक रिट भी मांगी गई है, जो कथित रूप से 2007 के नियमों का उल्लंघन है। (6) सी. डब्ल्यू. पी.-22818-2023 में एक सामान्य जवाब दाखिल किया गया है, जिसे गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा दायर तीन याचिकाओं में अभिवचनों को पूरा करने के उद्देश्य से प्रमुख मामले के रूप में माना गया था। दावा किया गया था कि उपयुक्तता परीक्षा से पहले चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में वाइवा वॉस में 50 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता के बारे में कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई थी और उच्च न्यायालय द्वारा उम्मीदवारों के खिलाफ गैर-संचारित मानदंड लागू नहीं किए जा सकते थे। उक्त कथनों के इस तरह के रुख का समर्थन सरकार द्वारा इस आधार पर दायर एक संक्षिप्त जवाब में किया गया था कि वह एक प्रतिनिधित्व पर हुए अन्याय को पूर्ववत करने के लिए हस्तक्षेप कर रही थी जो एक अधिवक्ता प्रेम पाल से प्राप्त हुआ था। तदनुसार, यह माना गया कि पूर्ण न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के साथ किसी भी परामर्श के बिना अपने दम पर 30.11.2021 के प्रस्ताव के माध्यम से मानदंडों में बदलाव किया गया था। लिखित परीक्षा के लिए बुलाते समय या साक्षात्कार के समय उम्मीदवारों को यह कभी नहीं बताया गया था और न ही कोई सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी या उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर डाली गई थी। ऐसी परिस्थितियों में, संशोधित मानदंडों के आधार पर सिफारिशों को 2007 के वैधानिक नियमों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर स्वीकार नहीं किया गया था।

(7) उच्च न्यायालय का रुख यह था कि उसने 48 में भाग लिया था

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

चयन प्रक्रिया में उम्मीदवार इसके विपरीत प्रदर्शन नहीं कर सके और चयन प्रक्रिया में खामियों और खामियों का पता लगा सके। महिंदर कुमार बनाम एम. पी. 1 के उच्च न्यायालय में पारित निर्णय पर भरोसा रखा गया था, जिसमें प्रवेश स्तर के जिला न्यायाधीशों की सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए चयन के मामले में एक उचित प्रक्रिया को अपनाने के संबंध में उच्च न्यायालय की प्रधानता को स्वीकार किया गया था। लिखित परीक्षा के साथ-साथ वाइवा वॉस के लिए निर्धारित न्यूनतम बेंचमार्क केवल सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को प्राप्त करने के उद्देश्य से था। मानदंडों के अनुसार विधिवत विचार किए जाने पर याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के लिए सफल नहीं पाया गया और केवल विचार का अधिकार था और जो उम्मीदवार आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करते थे, वे आंदोलन नहीं कर सकते थे कि उनके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में उम्मीदवारों के लिए मानदंड समान रूप से लागू किए गए थे और सभी उम्मीदवारों का मूल्यांकन एक ही मानदंड और मानदंड द्वारा किया गया था, जिसे निष्पक्ष रूप से लागू किया गया था। इसलिए, नए मानदंडों को लागू करने के कारण किसी भी उम्मीदवार के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया गया है। यह स्पष्ट किया गया कि 2017 के बाद वेबसाइट पर कोई मानदंड अपलोड करने की कोई प्रथा नहीं थी और इसके बाद पदोन्नति के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 233 से 235 में एक पूर्ण संहिता शामिल थी जो राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति तक विस्तारित थी और उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्राथमिक नियंत्रण का प्रयोग करता था। यह बताया गया है कि इस न्यायालय द्वारा आई. डी. 2 पर सुनवाई की तारीख से पहले आई. डी. 1 पर निर्देश पारित किए जाने के बाद ही राज्य सरकार ने अशोभनीय जल्दबाजी में विवादित पत्र जारी किया था, जिसमें अनुग्रह का अभाव था। (8) पक्षकारों की दलीलों, संबोधित तर्कों और अभिलेख के अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होगाः -

(i) क्या भारत संघ से कानूनी राय लेने में राज्य सरकार उचित थी और क्या यह एक व्यस्त निकाय से पत्र प्राप्त करने के कारण तथ्यों और परिस्थितियों में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बराबर है, जो न तो एक आकांक्षी है और न ही एक प्रभावित पक्ष है? ((ii) क्या राज्य सरकार या उच्च न्यायालय की कार्रवाई मनमाना थी और अनुच्छेद के अनुरूप नहीं थी।

1 2013 (11) एस. सी. सी. 87 शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

49

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

(iii) क्या गैर-चयनित उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को यह बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है कि अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के 39 उम्मीदवारों का साक्षात्कार साक्षात्कार में प्राप्त किए जाने वाले 50 प्रतिशत अंकों को निर्धारित करने के मानदंड के आधार पर किया गया था? ((iv) यदि प्रश्न सं. (ii) उच्च न्यायालय के पक्ष में और राज्य सरकार के खिलाफ पाया जाता है, तो क्या उसे उच्च न्यायालय की दिनांक 1 की सिफारिश पर कार्य करने का निर्देश देने के लिए एक अनिवार्य रिट जारी की जानी चाहिए, जो नियम के प्रावधानों के अनुरूप थी?

उठाए गए तर्कः (9) सी. डब्ल्यू. पी.-19775-2023 में याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील ने इस आधार पर हरियाणा राज्य द्वारा भारत संघ से कानूनी राय मांगने पर पीछे हटने की भ्रांति सहित विभिन्न तर्क उठाए हैं कि संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी और न ही बेंचमार्क तय करने के मानदंडों का खुलासा करने के लिए उच्च न्यायालय पर कोई दायित्व था, क्योंकि उद्देश्य योग्यता के आधार पर व्यक्तियों का चयन करना था और बेंचमार्क पर सवाल उठाना राज्य सरकार का काम नहीं था। तदनुसार, यह तर्क दिया जाता है कि वाइवा-वॉस में 50 प्रतिशत अंकों के मानदंड का मानदंड जो 30.11.2021 पर तय किया गया था, जिसे केवल व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया जाना था, एक उम्मीदवार को पदोन्नति के लिए पात्र बना देगा, न तो नियम का हिस्सा था जिसे संशोधित करने की आवश्यकता थी और इसलिए, राज्य सरकार की आपत्ति बिना किसी आधार के थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम में प्रावधान किया गया है कि पदोन्नति योग्यता-सह-वरिष्ठता सिद्धांत के आधार पर की जानी थी और इसलिए, उन मानदंडों को निर्धारित करना जो सभी पर लागू किए गए थे और राज्य द्वारा आपत्ति नहीं की जा सकती थी। गैर-चयनित उम्मीदवारों ने कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं किया था और केवल एक हस्तक्षेपकारी मध्यस्थ के दिनांकित एक पत्र (अनुलग्नक आर-1/6) के आधार पर, अर्थात् प्रेम पाल, कुरुक्षेत्र के एक अधिवक्ता, राज्य ने मामले को कानूनी राय के लिए भेजा था। तदनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2007 के नियमों के नियम 6 (1) (ए) के अनुसार योग्यता-सह-वरिष्ठता का सिद्धांत और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करना वे मानदंड थे जिन्हें नियम 8 के साथ पढ़ा जाना था, ताकि जो उम्मीदवार पदोन्नति के लिए पात्र थे, उनकी योग्यता और लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के लिए उपयुक्तता तय करने के लिए उनका मूल्यांकन किया जा सके। उपयुक्तता का निर्धारण और जाँच 50 को ध्यान में रखते हुए की जानी थी।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

कानूनी ज्ञान और दक्षता और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और सी (सत्यनिष्ठा संदिग्ध) के रूप में श्रेणीकरण वाले उम्मीदवारों को पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय निर्धारित कानून के अनुसार उम्मीदवारों को निर्णय देने के लिए सबसे उपयुक्त था और उसने ऐसा किया था और यह निर्धारित मानदंडों या सिफारिशों पर सवाल उठाने के लिए राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। (10) यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत उच्च न्यायालय के साथ यदि कोई परामर्श किया जाना था और किसी तीसरे पक्ष को पेश नहीं किया जा सकता था जो किया गया था। उच्च न्यायालय ने सभी आपत्तियों और अभ्यावेदनों पर विचार किया था, लेकिन उच्च न्यायालय से आगे परामर्श करने के बजाय, राज्य सरकार ने भारत संघ की राय लेने का विकल्प चुना था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकार वरिष्ठता के सिद्धांत पर आपत्ति जता रही थी और योग्यता के सिद्धांत की अनदेखी कर रही थी, जबकि नियम स्वयं योग्यता-सह-वरिष्ठता प्रदान करता था और इसलिए, सक्षम व्यक्तियों को बढ़ावा देने के बजाय, राज्य कम योग्य लोगों के लिए मामले का प्रचार कर रहा था और उक्त नियम का उल्लंघन कर रहा था। पंजाब राज्य में समान भर्ती प्रक्रिया के लिए और दोनों राज्यों के लिए सभी 39 उम्मीदवारों में इस सिद्धांत को सार्वभौमिक रूप से लागू किया गया था। पंजाब राज्य ने उक्त सिफारिशों को अधिसूचित किया था, जबकि केवल हरियाणा राज्य ने अलग दृष्टिकोण अपनाया था।

(11) निम्नलिखित निर्णयों के लिए वकील द्वारा भरोसा किया गया था

4 1975 (1) एससीसी 843 5 1976 (2) एससीसी 977 6 1980 (3) एससीसी 189 7 1992 सप. 1 एससीसी 548 8 2000 (4) एससीसी 640 9 2002 (4) एससीसी 247 10 2006 (6) एससीसी 395 शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

51

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

(12) उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि भर्ती और पदोन्नति समिति (सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस) ने आई. डी. 2 पर वापस निर्णय लिया था और पूर्ण न्यायालय की बैठक में विधिवत अनुमोदित आई. डी. 1 के पहले के मानदंडों के अधिक्रमण में एक नए मानदंड की सिफारिश की थी और लिखित परीक्षा में प्राप्त करने के लिए आवश्यक 50 प्रतिशत अंक और वाइवा-वॉयस में व्यक्तिगत रूप से 50 प्रतिशत अंक निर्धारित किए थे जो एक उम्मीदवार को पदोन्नति के लिए योग्य बनाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि 2007 के नियमों के नियम 8 में संबंधित अधिकारियों की पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय टिप्पणियों पर विचार करने का प्रावधान किया गया है और साथ ही 'सी' (सत्यनिष्ठा संदिग्ध) के रूप में श्रेणीकरण करने वाले अधिकारी को पदोन्नति के लिए पात्र नहीं माना जाना था। इस प्रकार, एक सिफारिश की गई थी कि एसीआर से संबंधित और नियम से संबंधित सिफारिश के पैराग्राफ (iii) के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में कम से कम 4 बी + अच्छे एसीआर होने चाहिए और टिप्पणियों में संदिग्ध अखंडता नहीं होनी चाहिए। पूर्ण न्यायालय ने अपनी दिनांक 1 (अनुलग्नक आर-3/3) की बैठक में केवल एसीआर के मानदंड के पैराग्राफ नंबर (iii) को एक अलग तरीके से संशोधित किया था और कट-ऑफ के उच्च मानदंड तय करने वाली रिपोर्ट को मंजूरी दी थी, लेकिन केवल एसीआर के मुद्दे के संबंध में नियम में संशोधन करने की सिफारिश की थी, जिसकी जांच भर्ती और पदोन्नति समिति (उच्च न्यायिक सेवा) और नियम समिति द्वारा की जानी थी। (13) उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि इसके बाद, 11.02.2022 (अनुलग्नक आर-3/4) पर एक और बैठक आयोजित की गई थी जिसमें सिफारिश की गई थी कि 'और' शब्द को उप-नियम (i) के अंत में और उप-नियम (ii) से पहले डाला जाए और नियम 8 के परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाए जो यह प्रावधान करता है कि किसी भी वर्ष में संदिग्ध सत्यनिष्ठा की प्रविष्टि वाला अधिकारी उक्त परीक्षा में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा। उक्त सिफारिश पर पूर्ण न्यायालय द्वारा 07.03.2022 (अनुलग्नक आर-3/5) पर विधिवत विचार किया गया था और इस तरह की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था और राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया था कि वे दिनांकित 07.03.2022 पूर्ण न्यायालय की बैठक की तारीख से संबंधित नियमों में संशोधन के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी करें। तदनुसार, यह बताया गया कि 14.03.2022 (अनुलग्नक आर-3/6) पर राज्य सरकार को उक्त सिफारिश के बारे में सूचित किया गया था और संबंधित नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए आवश्यक सिफारिश की गई थी, जो स्पष्ट रूप से कभी नहीं की गई है और न ही राज्य सरकार से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। 11 2020 (7) एससीसी 401 52 थे।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(14) नियमों (अनुलग्नक पी-1) का उल्लेख यह इंगित करने के लिए किया गया था कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ पठित अनुच्छेद 233 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए थे और हरियाणा के राज्यपाल ने उच्च न्यायालय के परामर्श से हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा में व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाए थे। तदनुसार, यह तर्क दिया गया कि परामर्श उच्च न्यायालय के साथ किया जाना था न कि इसके विपरीत और अनुच्छेद के शब्द स्पष्ट थे जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि व्यक्तियों की नियुक्ति और जिला न्यायाधीशों में पदोन्नति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तदनुसार, इस बात पर जोर दिया गया कि नियम 6 (1) (ए) योग्यता-सह-श्रेष्ठता और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने का सिद्धांत प्रदान करता है। नियम 8 ने हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के सदस्य की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन और परीक्षण करने के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया प्रदान की और यह 75 अंकों की लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा और 25 अंकों की मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाना था, जो उम्मीदवारों के कानूनी ज्ञान और दक्षता का पता लगाने और परीक्षण करने के पहलू पर आधारित था। पांच वर्षों से पहले के ए. सी. आर. को ध्यान में रखा जाना था और सत्यनिष्ठा पहलू आगे प्रासंगिक विचार थे और यह उच्च न्यायालय को उपयुक्तता पर विचार करना था न कि राज्य सरकार के लिए। इस प्रकार उच्च न्यायालय अपनी प्रक्रिया तैयार कर सकता है जो विधिवत 11.11.2021 (अनुलग्नक आर-3/2) पर की गई थी और पूर्ण न्यायालय द्वारा 30.11.2021 (अनुलग्नक आर-3/3) पर अनुमोदित की गई थी और नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा था, ताकि योग्यता को प्राथमिकता दी जा सके। (15) यह बताया गया कि निर्धारित मानदंडों के अनुसरण में उपलब्ध रिक्त सीटों के खिलाफ 13 न्यायिक अधिकारियों की आवश्यक सिफारिशें की गई थीं और नियम 6 (1) (ए) के तहत सरकार से आवश्यक अनुमोदन मांगा गया था, जिसे सूचित किया जाना था और नियम 8 का कोई संदर्भ नहीं था, जो केवल इस न्यायालय के दायरे में था। दिनांक 02.03.2023 (अनुलग्नक आर-1/4) के पत्र के माध्यम से एक स्पष्टीकरण मांगा गया था कि राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकरण होने के नाते अनुशंसित सदस्यों के पदोन्नति आदेशों के संबंध में एक समेकित निर्णय लेना चाहती है जो उक्त पत्र से स्पष्ट होगा, जिसके तहत एक शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य का संदर्भ दिया गया था।

53

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

हरीश गोयल, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से संबंधित वर्ष 2019 की पिछली चयन प्रक्रिया। इस प्रकार, यह इंगित किया गया है कि वास्तव में राज्य सरकार निर्णय लेने को हाईजैक करना चाहती थी और 2019 की चयन प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे को पहले ही शांत कर दिया गया था क्योंकि आयु में छूट के लिए विचार करने के मामले को 28.05.2021 पर खारिज कर दिया गया था और सरकार को विधिवत सूचित किया गया था, इस तथ्य को इस न्यायालय के महापंजीयक द्वारा जारी किए गए 22.03.2023 (अनुलग्नक P-12) के पत्र में भी विधिवत स्पष्ट किया गया था। यह इंगित किया गया है कि कुरुक्षेत्र के एक अधिवक्ता प्रेम पाल द्वारा दिनांक आई. डी. 1 पर किए गए एक अभ्यावेदन पर राज्य सरकार ने उनके अभ्यावेदन पर विचार किया था, जिसमें पहली बार राज्य सरकार को गोपनीय पत्र भेजे गए थे और हरीश गोयल, सी. डब्ल्यू. पी.-1975-2023 में याचिकाकर्ता शिखा और मधुलिका का मामला सामने रखा गया था और मौखिक परीक्षा में प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के संबंध में आपत्ति ली गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त व्यक्ति एक अजनबी था जिसने उच्च न्यायालय की सिफारिशों को अस्वीकार करने का अनुरोध किया था या वैकल्पिक रूप से अनुरोध किया था कि परामर्श किया जाए, ताकि उपयुक्त अधिकारियों की नई सूची बुलाई जा सके। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त अभ्यावेदन के आधार पर मामला राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.04.2023 के संचार के माध्यम से भारत संघ को भेजा गया था जो संविधान के प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत था। यह इंगित किया गया कि मुख्य सचिव द्वारा दिनांकित मूल नोटिंग फाइल 07.04.2023 का उल्लेख करते हुए राय लेने के लिए संदर्भ दिया गया था जिसे इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था जिसे 14.09.2023 पर प्रस्तुत किया गया था। यह भी बताया गया कि इस प्रकार विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग से दिनांकित 17.04.2023 (अनुलग्नक आर-1/7) पत्र के माध्यम से राय मांगी गई थी और उक्त संचार के अनुसरण में उक्त विभाग की दिनांकित 31.05.2023 की पहली राय 19.06.2023 पर प्राप्त हुई थी। 26.07.2023 दिनांकित कानूनी मामलों के विभाग से दूसरी राय 03.08.2023 पर प्राप्त हुई थी। यह इंगित किया गया कि 26.07.2023 दिनांकित पत्र के माध्यम से प्राप्त राय का आंख मूंदकर पालन करते हुए, अस्वीकृति आदेश को दिनांकित 12.09.2023 (अनुलग्नक पी-14) के विवादित आदेश के माध्यम से पारित किया गया था, जो पूरी तरह से गैर-आवेदन की कमी को दर्शाता है, जिसके तहत सरकार ने केंद्र सरकार की राय के बल पर सिफारिश को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया था और यह दलील ली थी कि पदोन्नति के लिए नाम भेजते समय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के वकील ने सी. डब्ल्यू. पी.-19775-2023 में याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील द्वारा उठाई गई दलीलों का एक तरह से समर्थन किया है। राज्य की रक्षाः

54

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(16) राज्य की ओर से पेश श्री बनर्जी ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की और इस तर्क को दोहराते हुए रुख को नरम किया कि संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत संवैधानिक योजना और संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों में उच्च न्यायालय के साथ परामर्श की परिकल्पना की गई है। संविधान के तहत परिकल्पित संतुलन को मापना और ध्यान रखना था, जो उन निर्णयों की भावना है जिन पर याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री गुरमिंदर सिंह और उनके द्वारा भी भरोसा किया गया है, हालांकि एक ही निर्णय के विभिन्न हिस्सों से पढ़ा गया है। यह उनका मामला है कि इससे पहले एक अवसर पर 29.01.2013 (अनुलग्नक R-1/11) पर, न्यायाधीशों की समिति की दिनांकित 19.11.2012 की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के पद पर पदोन्नति के लिए मानदंड निर्धारित किए गए थे। तदनुसार, उन्होंने योग्यता-सह-श्रेष्ठता और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के समान सिद्धांत पर 2007 के नियमों के नियम 6 (1) (ए) के तहत रिक्तियों को भरने के लिए तत्कालीन संभावित उम्मीदवारों को 18.11.2014 (सीडब्ल्यूपी-22818-2023 में अनुलग्नक पी-10) पर संबोधित संचार का उल्लेख किया है। यह इंगित किया गया है कि उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने प्रस्तावित संशोधन को कोई स्पष्ट शर्तों में अधिसूचित नहीं किया था, जिसे 2007 के नियमों के नियम 8 के तहत पूर्ण न्यायालय द्वारा 29.01.2013 पर आयोजित बैठक में अपनाए गए मानदंडों के अनुसार किया जाना था और इसे उच्च न्यायालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता था। इस प्रकार, यह इंगित किया गया है कि उम्मीदवारों को ध्यान में रखा गया है कि उपयुक्तता परीक्षा में उच्च कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में कानूनी क्षेत्र में कानूनी ज्ञान और दक्षता का आकलन करने के लिए 75 अंकों की लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा और 25 अंकों की मौखिक परीक्षा शामिल होगी। लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के कुल 50 प्रतिशत अंक एक उम्मीदवार को योग्य बना देंगे। इसी तरह उन्हें यह भी सूचित किया गया कि नियम 8 के खंड (v) के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान एक महीने या महीनों में दिए गए निर्णयों की समिति द्वारा जांच की जाएगी और यदि समिति निर्णयों को औसत से कम करती है, तो अधिकारी पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तदनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि मानदंड में परिवर्तन लिखित परीक्षा दोनों में 50 प्रतिशत बेंचमार्क निर्धारित करते हुए 11.11.2021 (अनुलग्नक R-3/2) पर किया गया था और इसे पूर्ण न्यायालय द्वारा 30.11.2021 (अनुलग्नक R-3/3) पर अनुमोदित किया गया था जिसे उम्मीदवारों को अधिसूचित नहीं किया गया था। पूर्ण न्यायालय के उक्त निर्णय के माध्यम से नियमों में संशोधन का प्रस्ताव नियम समिति को भेजा गया था और उसके बाद संयुक्त बैठक में 11.02.2022 (अनुलग्नक R-3/4) पर सिफारिशें की गई थीं, जिसे पूर्ण न्यायालय ने 07.03.2022 (अनुलग्नक R-3/5) पर स्वीकार कर लिया था और राज्य सरकार को कार्रवाई करने के लिए आवश्यक पत्र जारी कर दिया गया था।

55

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

14.03.2022 (अनुलग्नक आर-3/6) पर नियमों के संशोधन के प्रस्ताव पर। (17) इस प्रकार, यह श्री बनर्जी का मामला है कि मानदंडों को बदल दिया गया था, परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी जो संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत आवश्यकता थी। उन्होंने आगे बताया कि 39 योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की प्रक्रिया 24.08.2022 पर शुरू की गई थी और कहा कि उन्हें संबोधित संचार में मानदंड में बदलाव का उल्लेख नहीं था। बाद में आई. डी. 1 पर की गई सिफारिश का तुरंत आई. डी. 2 (अनुलग्नक पी-11) पर जवाब दिया गया था और मुख्य सचिव ने उच्च न्यायालय के महापंजीयक को पत्र लिखकर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ए. सी. आर.) और अनुमोदन के लिए लंबित अन्य व्यक्तियों के ए. सी. आर. की स्थिति और यह तथ्य कि वरिष्ठ अधिकारियों को छोड़ दिया गया था और सिफारिशों में उनके नामों का उल्लेख नहीं किया गया था, के बारे में पूछा था। इसलिए, चयन के मानदंड और उपयुक्तता परीक्षण के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसके आधार पर योग्यता-सह-श्रेष्ठता का सिद्धांत प्रभावित हुआ था और वरिष्ठ अधिकारियों के नामों की सिफारिश नहीं की गई थी। श्री बनर्जी का तर्क यह है कि उच्च न्यायालय ने आई. डी. 1 (अनुलग्नक पी-12) पर जवाब देते हुए उक्त संचार को संबोधित करते हुए और मानदंड प्रदान किए बिना यह कहते हुए परामर्श के अध्याय को बंद कर दिया कि निर्धारित कानून को देखते हुए, उच्च न्यायालय की राय अंतिम और राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी थी और राज्य को सूचित करके कि उक्त उम्मीदवार उक्त नियमों के संदर्भ में आयोजित उपयुक्तता परीक्षा में सफल नहीं हुए थे और इसलिए, उनके नामों की पदोन्नति के लिए सिफारिश नहीं की गई थी और दो उम्मीदवार न्यूनतम 35 वर्ष की आयु से कम थे। यह उनका तर्क है कि तब कुरुक्षेत्र के अधिवक्ता प्रेम पाल से आईडी1 पर एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसे आईडी2 पर सरकार के समक्ष रखा गया था और ऐसी परिस्थितियों में भारत सरकार से राय लेने के लिए उच्च स्तर पर निर्णय लिया गया था। श्री बनर्जी के अनुसार उक्त कार्रवाई किसी भी तरह से परामर्श प्रक्रिया नहीं थी और इसे संविधान के अनुच्छेद 233 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता था। न्याय विभाग से दिनांक आई. डी. 2 की राय और दिनांक आई. डी. 1 की कानूनी मामलों के विभाग से दूसरी राय प्राप्त करने पर विवादित आदेश पारित करके निर्णय को उच्च न्यायालय को सूचित कर दिया गया था और पवित्र संबंध का उल्लंघन नहीं किया गया था क्योंकि यह उच्च न्यायालय की सिफारिश को स्वीकार नहीं करने का राज्य का एक स्वतंत्र निर्णय था। तदनुसार, यह तर्क दिया गया कि यह राज्य का एक स्वतंत्र निर्णय है, हालांकि यह 56 पर आधारित हो सकता है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

14 1999 (3) एस. सी. सी. 396

15 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 1238 शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

57

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

16 1992 सप. (1) एस. सी. सी. 584 17 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 994 58

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

20 2019 ( 18) एससीसी 246

21 2008 (3) आर. सी. आर. (सिविल) 389 शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

59

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

24 2010 (1) एससीटी 717 25 1979 आकाशवाणी (एससी) 621 60

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

सिफारिशकर्ताओं ने स्वयं स्वीकार किया था कि वर्ष 2013 में एक मानदंड निर्धारित किया गया था, उन्हें गर्म और ठंडा उड़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी कि उच्च न्यायालय के पास कोई शक्ति नहीं होगी। यह बताया गया कि यह नियमों में मौजूद कमियों को भरने के लिए स्थापित एक प्रथा है और इसलिए, उम्मीदवार इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि पदों को भरने के लिए कितने लोगों को बुलाया गया था या साक्षात्कार में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने थे। यह उच्च न्यायालय का एकमात्र विवेकाधिकार था और एक बार जब इसे काले और सफेद रंग में रखा गया और पूर्ण न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया और दोनों राज्यों के उम्मीदवारों पर लागू किया गया, तो यह उन उम्मीदवारों द्वारा पूछताछ के क्षेत्र से परे था जिन्होंने नियम से अवगत होने और स्वयं प्रशिक्षित न्यायिक दिमाग होने का मौका लिया था।

(25) शिवानंदन सी. टी. (ऊपर) के फैसले पर भरोसा किया गया था।

दिल्ली और अन्य 26 ने कहा कि मानदंड तय करना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था। यह भी बताया गया कि गैर-चयनित उम्मीदवार चुने जाने के बारे में आश्वस्त थे जैसा कि से बताया गया था

26 एयर 2020 एससी 2512 शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

61

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (ऊपर) की सिफारिश कि न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग को संशोधनों और टिप्पणियों के अधीन स्वीकार किया गया था कि साक्षात्कार में कोई कट-ऑफ नहीं होनी चाहिए और यह केवल सीधी भर्ती के लिए था। उक्त निर्णय के पैराग्राफ No.27 का संदर्भ यह इंगित करने के लिए दिया गया था कि इसके बजाय यह टिप्पणी की गई थी कि पदोन्नति के उद्देश्य से एक उपयुक्तता परीक्षण होना चाहिए जिससे न्यायिक अधिकारियों को एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति के लिए अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की उपयुक्तता का परीक्षण करने का एक वस्तुनिष्ठ तरीका होना चाहिए और कुछ न्यूनतम मानक निर्धारित किए जाने चाहिए। आगे निर्देश दिए गए कि 25 प्रतिशत पदों को 62 के आधार पर सख्ती से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना चाहिए।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

इस संबंध में सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा और नियमों के माध्यम से योग्यता का निर्धारण किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः -

लिखित और मौखिक रूप से, हमारी राय है कि अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए उपयुक्तता का परीक्षण करने का एक वस्तुनिष्ठ तरीका होना चाहिए उच्च न्यायिक सेवा। इसके अलावा, अपेक्षाकृत कनिष्ठ और अन्य अधिकारियों के बीच सुधार करने और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी प्रोत्साहन होना चाहिए ताकि वे उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें और तेजी से पदोन्नति प्राप्त कर सकें। इस तरह, हम उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की क्षमता में और सुधार होगा।

इसे प्राप्त करने के लिए, जबकि शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य का अनुपात

63

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (उपरोक्त) के फैसले पर विचार करते समय यह विशेष रूप से देखा गया है कि वैधानिक नियम लागू होने के बाद शेट्टी आयोग पर निर्भरता उचित नहीं थी और यह उस क्षेत्र को शामिल करेगी जिसे विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है। यह इंगित किया गया है कि एक बार जब उच्च न्यायालय द्वारा योग्यता, दक्षता और अखंडता पर निर्णय लेने के उद्देश्य से एक मानदंड तैयार किया गया था, तो उसे किसी भी तरह से मनमाना या तर्कहीन या अवैध नहीं कहा जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 235 को भी यह ठहराने के लिए लागू किया गया था कि इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः - “8. रिलायंस ने न्यायमूर्ति जगन्नाथ शेट्टी आयोग की सिफारिशों या अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (ऊपर) में रिपोर्ट किए गए निर्णय या यहां तक कि 27 2003 (9) एस. सी. सी. 592 64 के पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव पर भी विचार किया।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

प्रश्न सं. (i): क्या भारत संघ से कानूनी राय लेने में राज्य सरकार उचित थी और क्या यह एक व्यस्त निकाय से पत्र प्राप्त करने के कारण तथ्यों और परिस्थितियों में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बराबर है, जो न तो एक आकांक्षी है और न ही एक प्रभावित पक्ष है?

शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

65

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

(28) यह विवादित नहीं है कि 13 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के लिए 23.02.2023 की सिफारिशों पर उच्च न्यायालय को आवश्यक मंजूरी देने की मांग की गई थी। 39 उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार विधिवत आयोजित किए जाने के बाद भी ऐसा ही किया गया था, जिन्हें दिनांक 24.08.2022 (अनुलग्नक पी-2) के माध्यम से नोटिस दिया गया था। उनके साक्षात्कार 30.11.2022 और 01.12.2022 पर आयोजित किए गए थे। यह किसी भी गैर-अनुशंसक की शिकायत नहीं है कि साक्षात्कार बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें पक्षपातपूर्ण थीं या उक्त उम्मीदवारों को उचित समय नहीं दिया गया था। पहली बार राज्य द्वारा दिलचस्प रूप से दिनांक 1 (अनुलग्नक पी-11) को संबोधित करते हुए आपत्ति उठाई गई थी जिसमें अनुशंसित अधिकारियों के एसीआर और अन्य के एसीआर की स्थिति मांगी गई थी। इस तरह के औचित्य की मांग की गई थी कि जिन अधिकारियों की "अनुशंसा की गई थी, उनसे वरिष्ठ" अधिकारियों ने ग्रेड क्यों बनाया था और इस प्रकार योग्यता और उपयुक्तता परीक्षण के मानदंड को स्पष्ट करने की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि योग्यता-सह-वरिष्ठता का सिद्धांत प्रभावित हुआ है और अनुशंसित अधिकारियों से वरिष्ठ अधिकारियों की सिफारिश नहीं की गई है। इसी तरह राज्य सरकार ने उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार 38 अधिकारियों के नामों की सिफारिश नहीं करने के कारण पर सवाल उठाया। आपत्तियों के प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैंः -

“1. कृपया अनुशंसित अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ए. सी. आर.) और माननीय पूर्ण न्यायालय के अनुमोदन के लिए लंबित अन्य लोगों की ए. सी. आर. की स्थिति प्रदान करें। 2. कृपया 2007 बैच के क्रम संख्या 3,4,6,7,8,10 और 11 और 2009 बैच के क्रम संख्या 13,14 और 15 और 2010 बैच के क्रम संख्या 22,24 और 25 पर न्यायिक अधिकारियों के संबंध में औचित्य/स्पष्टीकरण प्रदान करें। //हाईकोर्टच. जी. ओ. वी. इन/उपपृष्ठ/शीर्ष मेनू/जिला/उद/पी. डी. एफ./हरियाणा Gradation1.pdf)। ये अधिकारी अंतिम/वर्तमान अनुशंसित अधिकारी से वरिष्ठ प्रतीत होते हैं, लेकिन सूचियों में एडीएसजे के पद के लिए उनके नामों का उल्लेख/अनुशंसा नहीं की गई है। आपसे आगे योग्यता और उपयुक्तता परीक्षण के मानदंडों को स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है, जिसके आधार पर योग्यता सह-श्रेष्ठता का सिद्धांत प्रभावित हुआ है और अनुशंसित अधिकारियों से वरिष्ठ अधिकारियों के नामों की सिफारिश नहीं की गई है।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5. आपके कार्यालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर स्थिति रिपोर्ट और पत्र संख्या 75/स्प्ल 66 के माध्यम से इस कार्यालय को भेजी गई प्रति के अनुसार

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

मलिक मजहर बनाम यू. पी. पी. एस. सी. शीर्षक से 2006 की सिविल अपील संख्या 1867 में मुकदमेबाजी/एल-1 दिनांक 18.01.2023, पदोन्नति कोटे के तहत हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा के संवर्ग में 39 रिक्तियां उपलब्ध हैं। यह मामला 28 फरवरी, 2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था और राज्य सरकार को इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने के लिए कहा गया है। कृपया 38 अधिकारियों के नामों की सिफारिश नहीं करने का कारण (उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार) प्रदान करें ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का विधिवत पालन किया जा सके। इसलिए आपसे उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में स्पष्टीकरण/औचित्य प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है, ताकि राज्य सरकार, नियुक्ति प्राधिकरण होने के नाते, हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के संवर्ग में अनुशंसित/अनुशंसित सदस्यों के संबंध में पदोन्नति आदेश के संबंध में और हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा नियम, 2007 के नियम 10 (i) (a) के अनुसार समेकित निर्णय ले सके। ”

(29) उक्त पत्र का उत्तर उच्च न्यायालय के महापंजीयक द्वारा 22.03.2023 (अनुलग्नक पी-12) पर दिया गया था जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि नियम योग्यता-सह-श्रेष्ठता सिद्धांत प्रदान करता है जिसे उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के साथ पढ़ा जाता है। यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि उम्मीदवार मानदंडों के साथ पढ़े गए नियमों के संदर्भ में उपयुक्तता परीक्षा में सफल नहीं हुए थे और उस आधार पर उनके नामों की सिफारिश नहीं की गई थी। दो उम्मीदवारों की आयु कम बताई गई थी जिन्होंने न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी और इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया था। परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 233 से 235 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, राज्य सरकार से आवश्यक अनुमोदन देने का अनुरोध किया गया था। इसी तरह जिन 39 पदों पर आवेदन नहीं किए गए थे, उन पर यह स्पष्ट किया गया कि उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेष रिक्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उक्त उत्तर का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः -

“कि हरियाणा राज्य में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के 13 पदों पर पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति के लिए इस न्यायालय के पत्र संख्या 117/गाज़ी/VI. F. 8 दिनांक 23.02.2023 में निहित सिफारिशें, जिसके लिए केवल इस न्यायालय द्वारा प्रक्रिया शुरू की गई थी, शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के नियम 6 (1) (ए) के संदर्भ में सख्ती से की गई थीं।

67

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

जैसे ही इस न्यायालय के दिनांक 1 दिनांकित पत्र के माध्यम से नियुक्ति के लिए अनुशंसित 13 अधिकारियों की नियुक्ति और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, पदोन्नति कोटे के तहत हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा में शेष रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उपरोक्त उद्धृत आदेशों को ध्यान में रखते हुए, आपसे फिर से अनुरोध किया जाता है कि हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा नियम, 2007 के नियम 6 (1) (ए) के तहत पदोन्नति द्वारा अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में 13 हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सरकार की मंजूरी/आदेश, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2023 के पत्र संख्या 117 गजआई/VI. एफ. 8 के माध्यम से निर्णय लिया गया है। इस न्यायालय को तुरंत प्रदान किया जा सकता है और सूचित किया जा सकता है।

(30) यह स्वयं राज्य का मामला है जैसा कि लिखित 68 में कहा गया है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

बयान कि उच्च न्यायालय का दिनांक 22.03.2023 का पत्र प्राप्त करने के बाद उसे 31.03.2023 पर दिनांक 29.03.2023 के अधिवक्ता प्रेम पाल से पत्र प्राप्त हुआ था। यह उक्त व्यक्ति था जिसने पहली बार आपत्ति उठाई थी कि मौखिक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता के बारे में उम्मीदवारों को सूचित नहीं किया गया था और यह तथ्य कि उच्च न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव के माध्यम से न्यूनतम कट-ऑफ तय करने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार एक आंतरिक संकल्प के आधार पर कटौती को एक अवैध और मनमाना कार्य कहा गया था और इसलिए, राज्य सरकार को अन्याय को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। मान लीजिए कि राज्य ने 50 प्रतिशत कट-ऑफ के मानदंड के संबंध में उच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए उच्च न्यायालय में वापस जाने के बजाय उक्त पत्र पर बड़ी सतर्कता के साथ कार्रवाई की, जिसे साक्षात्कार में रखा गया था, जो स्पष्ट रूप से प्रक्रिया शुरू होने से बहुत पहले 11.11.2021 पर किया गया था। मूल फाइल जिसे शुरू में तलब किया गया था और मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह दर्शाती है कि उक्त संचार स्पष्ट रूप से मुख्य सचिव को 31.03.2023 पर प्राप्त हुआ था, हालांकि औपचारिक मुद्रांकन मुख्य सचिव के कार्यालय में 03.04.2023 पर रखा गया है। नोट करने वाले हिस्से से पता चलता है कि सरकार ने उक्त तिथि पर ही एक कार्यालय नोट किया था। अर्थात् 03.04.2023 और 07.04.2023 पर मुख्य सचिव ने निम्नलिखित विकल्प रखेः -

“क) हम मामले में शामिल कानूनी मुद्दों पर महाधिवक्ता की राय ले सकते हैं। ख) चूँकि उच्च न्यायालय शीघ्र अनुमोदन के लिए दबाव डाल रहा है, हम या तो इस प्रस्ताव के लिए अनुमोदन देने पर विचार कर सकते हैं या सुझाव के अनुसार आगे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। ”

(31) 17.04.2023 पर, महाधिवक्ता की उपस्थिति में निम्नलिखित निर्णय लिया गया, जिसके द्वारा मामला भारत सरकार को भेजा गयाः -

“16 अप्रैल 2023 को 06 बजे महाधिवक्ता और सीपीएससीएम की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के साथ इस मामले पर चर्चा की गईः 00 पीएम। विस्तृत चर्चा के बाद, यह महसूस किया गया कि भारत सरकार (विधि और न्याय मंत्रालय) से इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए सलाह देने का अनुरोध किया जा सकता है। तदनुसार, पत्र का मसौदा तैयार किया जाए। ” प्रासंगिक प्रावधानः

(32) संविधान का अनुच्छेद 233 इस प्रकार हैः -

“233. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति।

—(1) नियुक्तियाँ शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

69

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश बनने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। (2) एक व्यक्ति जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, केवल तभी जिला न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह कम से कम सात साल से अधिवक्ता या वकील रहा हो और नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा उसकी सिफारिश की गई हो। ”

(33) 2007 के नियमों के प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार हैंः -

(i) कानूनी क्षेत्र में कानूनी ज्ञान और दक्षता का पता लगाने और जांच करने के लिए 75 अंकों की लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा और 25 अंकों की मौखिक परीक्षा आयोजित करें। ((ii) 70 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों पर विचार करना।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

व्याख्या। 27. यदि इन नियमों की व्याख्या के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से इसका निर्णय लिया जाएगा। ”

(34) यह भी रिकॉर्ड की बात है कि 17.04.2023 पर भेजे गए अनुरोध के अनुसरण में, भारत संघ की पहली राय दिनांक 31.05.2023 पर 19.06.2023 और दूसरी राय दिनांक 26.07.2023 पर प्राप्त हुई थी। राज्य ने किसी भी समय उच्च न्यायालय में वापस नहीं जाने का फैसला किया। तदनुसार, 2023 के सी. डब्ल्यू. पी. No.19775 में याचिकाकर्ताओं ने चयन की प्रक्रिया को पूरा करने और नियुक्तियों की औपचारिक अधिसूचना के लिए सीमित राहत के लिए अनुरोध करते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि पंजाब राज्य ने पहले ही दिनांक 25.04.2023 (अनुलग्नक पी-7) की आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी है और समान रूप से स्थित उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति को अधिसूचित कर दिया है। इस न्यायालय द्वारा सबसे पहले इस मामले को आई. डी. 1 पर उठाया गया था, यह देखते हुए कि छह महीने से अधिक समय बीत चुका है और स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आवश्यक अधिसूचना क्यों जारी नहीं की गई और राज्य अपने पैर क्यों खींच रहा है और मामले को आई. डी. 2 पर स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद ही 12.09.2023 (अनुलग्नक पी-14) पर अस्वीकृति आदेश पारित किया गया था जो कि शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य है।

71

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

अब संशोधित रिट याचिका का विषय है। उक्त पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि निर्णय पूरी तरह से तीसरे पक्ष के दृष्टिकोण पर आधारित था और भारत संघ से परामर्श करने के बाद, राज्य ने सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है और इस याचिका को स्वीकार करते हुए संशोधित सिफारिशें भेजने के लिए कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित आंतरिक प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार से परामर्श किए बिना एक संशोधित मानदंड अपनाया गया था और इसलिए, यह राज्य सरकार को बाध्य नहीं करता था। उच्च न्यायालय द्वारा मनमाने ढंग से कार्य करने और विश्वासघात के बारे में भी अनुचित टिप्पणी की गई थी। उक्त पत्र का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः - “मुझे निर्देश दिया गया है कि ऊपर उल्लिखित विषय पर आपके 23 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 117 गज़/VI. F. 8 और 22 मार्च, 2023 के पत्र संख्या 204 Gaz.I/VI.F.8 का उल्लेख करें और आपको सूचित करें कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (ADSJ) को उपरोक्त संदर्भित पदोन्नति पत्रों पर विचार करने पर राज्य सरकार ने 17 अप्रैल के इस कार्यालय पत्र के माध्यम से कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से कानूनी राय लेने का फैसला किया था। 2023.

(iii) हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा नियम, 2007 संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए एक अधीनस्थ कानून होने के नाते इसके किसी भी प्रावधान में संशोधन करने से पहले सभी हितधारकों के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है। (iv) राज्य सरकार से परामर्श किए बिना पदोन्नति द्वारा अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की सिफारिशें न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकती हैं।

72

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

5. इसके अलावा, यदि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने "चंद्रमौलेश्वर प्रसाद बनाम पटना उच्च न्यायालय और अन्य" (1970) 2 एस. सी. आर. 666 में यह अभिनिर्धारित किया है कि जिला न्यायाधीशों (अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों सहित) के पद पर नियुक्तियां, चाहे वे प्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति के माध्यम से हों, अनुच्छेद 233 द्वारा शासित होती हैं न कि अनुच्छेद 235 द्वारा। संविधान ने उच्च न्यायालय को राज्यपाल को सर्वोत्तम सलाह या राय देने का एक पवित्र और महान कर्तव्य प्रदान किया है, उच्च न्यायालय राज्यपाल को अपनी राय देने में मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता है अन्यथा यह विश्वासघात होगा। यदि सलाह अभिलेख पर किसी भी सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है और चरित्र में मनमाना है, तो इसका कोई बाध्यकारी मूल्य/प्रभाव नहीं हो सकता है। 6. इसलिए, ऊपर वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के 13 अधिकारियों की अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों (ए. डी. एस. जे.) के पद पर पदोन्नति के लिए वर्तमान सिफारिश को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया, क्योंकि राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार (विधि और न्याय मंत्रालय) ने देखा है कि पदोन्नति के लिए सरकार को नाम भेजते समय भारत के संविधान के अनुच्छेद 309, यानी हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा नियम, 2007 के साथ पठित अनुच्छेद 233 के तहत तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कानून के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए संशोधित सिफारिशें भेजें। ”

(35) घटनाओं के क्रम को ध्यान में रखते हुए, दो बातें स्पष्ट हैं कि 2023 के सी. डब्ल्यू. पी. आई. डी. 1 में याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील, श्री गुरमिंदर सिंह द्वारा उठाए गए तर्क को रिकॉर्ड द्वारा इस तरह से प्रमाणित किया गया है कि पूरी प्रक्रिया को किसी तीसरे पक्ष के तत्व द्वारा दायर किए गए अभ्यावेदन के कारण रद्द करने की मांग की गई थी, जो जिला न्यायालय का वकील था, जो राज्य के समक्ष उठाई गई अपनी आपत्ति में उम्मीदवारों के एक निश्चित समूह को आगे बढ़ा रहा था और जिसका इस मामले में कोई अधिकार नहीं था, लेकिन राज्य ने उसी पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़े और मामले में वापस आए बिना भारत संघ से परामर्श किया। उच्च न्यायालय। यह स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत है। राज्य द्वारा पेश किए गए तीसरे निजी पक्ष के तत्व ने चयन प्रक्रिया में अत्यधिक हिंसा की है और उसी शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य को रद्द कर दिया है।

73

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे और हरियाणा राज्य में न्याय वितरण प्रणाली पीछे हट गई है और बुरी तरह से प्रभावित हुई है और इस तथ्य के कारण पीड़ित है कि राज्य सरकार ने एक ऐसे मामले में अपनी सक्रियता दिखाई है जहां इसकी आवश्यकता नहीं थी और जिन अधिकारियों की विधिवत सिफारिश की गई थी, उन्हें अनुमति देने के बजाय, उसने स्पष्ट रूप से इस तथ्य के बावजूद गैर-योग्य उम्मीदवारों के मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि नियम अन्यथा प्रदान करता है। (36) 1960 के दशक से शुरू होने वाले सुलझे हुए मामले के कानून से पता चलता है कि उक्त मुद्दे पर कानून को पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है और इस न्यायालय की शक्ति को विशिष्ट टिप्पणियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जब राज्यपाल और इस न्यायालय के बीच परामर्श होता है तो कोई तीसरा पक्ष तस्वीर पर नहीं आ सकता है। चंद्र मोहन (उपरोक्त) में विवाद जिला न्यायाधीशों की भर्ती के संबंध में था और क्या राज्यपाल द्वारा न्यायिक अधिकारियों में से जिला न्यायाधीशों की भर्ती करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने वाले नियम असंवैधानिक थे। संवैधानिक पीठ ने तदनुसार निर्णय दिया था कि उच्च न्यायालय को चयन समिति द्वारा तैयार की गई नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की सूचियों के अधिकार को प्रेषित करने की स्थिति में कम कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, अपील को स्वीकार करते समय, यह अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत जनादेश को उच्च न्यायालय से परामर्श नहीं करके या उच्च न्यायालय और अन्य व्यक्तियों से भी परामर्श करके अवज्ञा नहीं की जा सकती है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि संवैधानिक अधिदेश स्पष्ट था कि उच्च न्यायालय से न्यायिक सेवा या बार से संबंधित व्यक्ति की जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की उपयुक्तता के संबंध में बेहतर जानकारी की अपेक्षा की जाती है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः -

“हम इन अपीलों के उद्देश्य के लिए यह मान रहे हैं कि अनुच्छेद 233 के तहत "राज्यपाल" मंत्रियों की सलाह पर कार्य करेगा। इसलिए, निर्णय में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "राज्यपाल" का अर्थ है राज्यपाल जो मंत्रियों की सलाह पर कार्य करता है। संवैधानिक जनादेश स्पष्ट है। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय के साथ अपने परामर्श से किया जाता है, अर्थात वह केवल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीश के पद पर एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। परामर्श का उद्देश्य स्पष्ट है। जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले "न्यायिक सेवा" या बार से संबंधित व्यक्ति की उपयुक्तता या अन्यथा के संबंध में उच्च न्यायालय से राज्यपाल से बेहतर जानकारी की अपेक्षा की जाती है। इसलिए, राज्यपाल को 74 बनाने का कर्तव्य सौंपा गया है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

एक निकाय के परामर्श से नियुक्ति जो उसे सलाह देने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है। राज्यपाल द्वारा इस आदेश की अवज्ञा दो तरीकों से की जा सकती है, अर्थात् (i) उच्च न्यायालय से बिल्कुल भी परामर्श नहीं करके और (ii) उच्च न्यायालय और अन्य व्यक्तियों से भी परामर्श करके। एक मामले में वह सीधे संविधान के जनादेश का उल्लंघन करता है और दूसरे में वह अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करता है, क्योंकि उसका मन अन्य व्यक्तियों से प्रभावित हो सकता है जो उसे सलाह देने के हकदार नहीं हैं। संविधान के अन्य प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि इस संवैधानिक जनादेश का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों महत्व है। जहाँ कहीं भी संविधान ने एक से अधिक सलाहकार प्रदान करने का इरादा किया है, वहाँ उसने ऐसा कहा हैः कलाएँ देखें। 124(2) और 217 (1)। जहाँ कहीं भी संविधान ने किसी एक निकाय या व्यक्ति के परामर्श का प्रावधान किया है, वहाँ उसने ऐसा कहा हैः अनुच्छेद 222 देखें। अनुच्छेद 124 (2), आगे जाता है और उन व्यक्तियों के बीच अंतर करता है जिनसे परामर्श किया जाएगा और जिन व्यक्तियों से परामर्श किया जा सकता है। इन प्रस्तावों से संकेत मिलता है कि परामर्श करने का कर्तव्य शक्ति के प्रयोग के साथ इतना एकीकृत है कि शक्ति का प्रयोग केवल उस व्यक्ति या उसमें नामित व्यक्तियों के परामर्श से किया जा सकता है। इसे अलग तरह से कहने के लिए, यदि ए को सी के परामर्श से बी की नियुक्ति करने का अधिकार है, तो वह निर्धारित तरीके से शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा यदि वह सी और डी के परामर्श से बी की नियुक्ति करता है। इसलिए, हम यह मानेंगे कि यदि नियम राज्यपाल को उच्च न्यायालय के अलावा किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के परामर्श से किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देते हैं, तो उक्त नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 233 (1) के प्रावधानों के अनुसार नहीं होगी।

(37) इंदर प्रकाश आनंद एच. सी. एस. और अन्य (ऊपर) ए फोर में

न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय की सिफारिश राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो इसके परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण होंगे, जब इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के खिलाफ राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया, जिसने इस न्यायालय की सिफारिशों के खिलाफ अधिकारी को सेवा से सेवानिवृत्त करने के आदेश को रद्द कर दिया था। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः -

“18. उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण यह है कि यदि उच्च न्यायालय की राय है कि कोई विशेष न्यायिक अधिकारी सेवा में बनाए रखने के योग्य नहीं है, तो उच्च न्यायालय राज्यपाल को सूचित करेगा क्योंकि राज्यपाल को पद या शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य को बर्खास्त करने, हटाने, कम करने का अधिकार है।

75

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

नियुक्ति समाप्त करें। ऐसे मामलों में संविधान में यह विचार किया गया है कि राज्य के प्रमुख के रूप में राज्यपाल उच्च न्यायालय की सिफारिशों के अनुरूप कार्य करेगा। यदि उच्च न्यायालय की सिफारिश को राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं माना जाता है तो इसके परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण होंगे। यह जनहित में है कि राज्य उच्च न्यायालय की सिफारिशों को स्वीकार करेगा। उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायपालिका पर पूर्ण नियंत्रण के निहित होने से यह होता है कि उच्च न्यायालय का निर्णय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर के मामलों में राज्य को बाध्य करेगा। "सरकार उच्च न्यायालय की सिफारिश पर कार्रवाई करेगी। यही अनुच्छेद 235 का व्यापक आधार है। पृष्ठ 841 पर शमशेर सिंह का मामला (ऊपर) देखें। 19. वर्तमान मामले में, 20 अगस्त, 1971 के आदेश की तारीख से तीन महीने की समाप्ति के बाद प्रतिवादी को सेवा से सेवानिवृत्त करने के राज्य के आदेश को उच्च न्यायालय ने सही ढंग से रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने इस आशय की कोई सिफारिश नहीं की।

(38) हरि दत्त कैंथला और एक अन्य (ऊपर) में यह माना गया था कि

बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य 28, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि राज्य सरकार को उच्च न्यायालय की सिफारिशों को स्वीकार करने में कठिनाई होती है, उसे उच्च न्यायालय को सूचित करना चाहिए और उचित जिला न्यायाधीश प्राप्त करने के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी परामर्श किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः -

“……. आम तौर पर, एक नियम के रूप में, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिशों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए और राज्यपाल को उसी पर कार्य करना चाहिए। यदि किसी विशेष मामले में, राज्य सरकार को अच्छे और महत्वपूर्ण कारणों से उच्च न्यायालय की सिफारिशों को स्वीकार करने में कठिनाई होती है, तो राज्य सरकार को अपने विचारों को उच्च न्यायालय को सूचित करना चाहिए और राज्य सरकार को पूरी जानकारी होनी चाहिए।

28 1982 (3) एससीसी 412 76

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

और मामले में उच्च न्यायालय के साथ प्रभावी परामर्श। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यदि उच्च न्यायालय आश्वस्त हो जाता है कि राज्य सरकार की ओर से आपत्तियों के लिए अच्छे कारण हैं, तो उच्च न्यायालय निस्संदेह मामले और उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिशों पर पुनर्विचार करेगा। कुशल और उचित न्यायिक प्रशासन इन नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य होने के कारण, आम सहमति पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि उच्च न्यायालय और राज्य सरकार दोनों को न्याय के उचित प्रशासन के लिए उचित जिला न्यायाधीशों को प्राप्त करने के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से अलग तरीके से प्रश्न का समाधान करना चाहिए। ”

अभिनिर्धारित किया कि उक्त परामर्श या विचार-विमर्श पूर्ण या प्रभावी नहीं हो सकता है यदि पक्ष एक-दूसरे को अपने-अपने दृष्टिकोण से अवगत नहीं कराते हैं। उक्त टिप्पणियां इस मायने में उपयोगी होंगी कि यह राज्य सरकार की कभी भी चिंता नहीं थी कि निर्धारित मानदंड खराब थे और उसने हमेशा इस गलत आशंका पर आपत्ति जताई थी कि नियम में संशोधन नहीं किया गया था। इस प्रकार जो मानदंड तय किया गया था, वह 2007 के नियमों के नियम 8 के दायरे में था और यह राय देना राज्य सरकार का काम नहीं था कि मानदंड उम्मीदवारों को पता नहीं था। (40) बाल मुकंद साह (उपरोक्त) मामले में एक अन्य संवैधानिक पीठ ने कहा कि राज्यपाल की शक्ति स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय के परामर्श और नियुक्तियों की सिफारिश के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा पूर्ण मंजूरी पर संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 द्वारा बाधित और विनियमित है। जिला न्यायपालिका को नियंत्रित करने वाला विशेषज्ञ निकाय होने के नाते उच्च न्यायालय की प्रधानता और विधायिका द्वारा किसी भी तरह के हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया गया था और यह देखा गया था कि यह उच्च न्यायालय को निर्धारित करना था कि न्याय का वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिला न्यायपालिका के जमीनी स्तर के साथ-साथ न्याय के शीर्ष स्तर पर उसे किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। इस प्रकार उच्च न्यायालय पर आरक्षण की योजना लागू करने और परामर्श करने के प्रयास को अस्वीकार कर दिया गया। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः -

“58 अब हमारे लिए स्थिति का जायजा लेने का समय आ गया है। शिक्षा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य की गारंटी देने वाली संवैधानिक योजना के आलोक में

77

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, संवैधानिक निर्माताओं ने यह ध्यान रखा है कि न्यायपालिका के जमीनी स्तर से लेकर जिला न्यायपालिका के शीर्ष स्तर तक न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए योग्य व्यक्तियों की भर्ती के लिए प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करके, जमीनी स्तर पर भर्ती के मामले में उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम और अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर नियुक्तियों के लिए उच्च न्यायालय की सिफारिश, ऐसी भर्तियों और नियुक्तियों को प्रभावी बनाने के लिए शक्ति का एकमात्र भंडार बनी हुई है। यह कल्पना करना आसान है कि यदि इन दोनों स्तरों पर उपयुक्त और सक्षम उम्मीदवारों की भर्ती नहीं की जाती है, तो न्यायिक उत्पाद का परिणाम उस उच्च स्तर का नहीं होगा जो न्यायिक अधिकारियों से अपेक्षित है ताकि सक्षम, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ न्यायपालिका के हाथों अपनी कानूनी शिकायतों के निवारण के लिए आने वाले वादियों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली पीड़ित मानवता की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। न्यायालय का पीठासीन अधिकारी यदि पूरी तरह से कानूनी आधार से लैस नहीं है, तो वह उन वस्तुओं को वितरित करने में सक्षम नहीं हो सकता है जो मुकदमेबाजी करने वाली जनता उससे देने की अपेक्षा करती है। इस प्रकार, जमीनी स्तर के साथ-साथ जिला न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्रतिभाओं की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए, अनुच्छेद 233 और 234 ने उच्च न्यायालय के बीच पूर्ण बातचीत की अनुमति दी है जो जिला न्यायपालिका को नियंत्रित करने वाला विशेषज्ञ निकाय है और राज्यपाल जो नियुक्ति प्राधिकरण है और जो लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति का कार्य जमीनी स्तर पर लगभग करता है और केवल उन उम्मीदवारों को नियुक्त करना पड़ता है जिनकी सिफारिश उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर नियुक्ति के लिए की जाती है। राज्य विधानमंडल द्वारा विधायी अधिनियमन द्वारा इस अभ्यास पर कोई भी स्वतंत्र बाहरी हस्तक्षेप, जिसके लिए उच्च न्यायालय जैसी विशेषज्ञ एजेंसी के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी, अनिवार्य रूप से उच्च न्यायालय को दरकिनार करते हुए, न्यायिक नियुक्तियों को बाहरी एजेंसियों के हस्तक्षेप से बचाने की परिकल्पना करने वाली संवैधानिक योजना की कसौटी पर गलत होगा, चाहे वह राज्यपाल हो या उस मामले के लिए उसे या विधानमंडल को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद। न्यायिक 78 के लिए

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

अनुच्छेद 234 के तहत नियम बनाते समय या अनुच्छेद 233 के तहत उच्च न्यायालय की सिफारिशों पर नियुक्तियां करते समय राज्यपाल को दी जाने वाली वास्तविक और प्रभावी सलाह केवल उच्च न्यायालय से निकलती है जो इन अभ्यासों का आधार और आत्मा है। यह स्वयंसिद्ध है कि उच्च न्यायालय, जो उस क्षेत्र में वास्तविक विशेषज्ञ निकाय है, जिसमें अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निहित है, की न्यायिक अधिकारियों की भर्ती में महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनके काम को अनुच्छेद 235 के तहत उसके द्वारा नियंत्रित किया जाना है, जब वे संबंधित प्रवेश बिंदुओं पर छान-बीन प्रक्रिया से गुजरने के बाद न्यायिक सेवा में शामिल होते हैं। यह कल्पना करना आसान है कि जब अनुच्छेद 235 के तहत जिला न्यायपालिका पर नियंत्रण पूरी तरह से उच्च न्यायालय में निहित है, तो उच्च न्यायालय को यह कहना चाहिए कि जिला न्यायपालिका के जमीनी स्तर के साथ-साथ उसके शीर्ष स्तर पर उसे किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि पीड़ित मुकदमेबाजी करने वाली मानवता के लिए न्याय के कुशल प्रशासन को सुरक्षित करने के अंतिम उद्देश्य के साथ ऐसी एजेंसियों के माध्यम से न्याय का वितरण प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सके। इन परिस्थितियों में, जमीनी स्तर पर या जिला न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर नियुक्ति के स्तर पर उच्च न्यायालय को दरकिनार करना असंभव है। उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अनुच्छेद 234 के अनुसार राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम और केवल उच्च न्यायालय की सिफारिश के आधार पर जिला न्यायपालिका में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुच्छेद 233 के तहत उनके द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां स्पष्ट रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका में भर्ती की एक पूर्ण और पृथक योजना को प्रस्तुत करती हैं। संविधान के संस्थापकों द्वारा परिकल्पित इस पूरी तरह से अछूती योजना के साथ किसी भी बाहरी एजेंसी द्वारा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है जो दोहरे अनुच्छेद 233 और 234 द्वारा परिकल्पित अनुमेय अभ्यास का खंडन करती है। यह कहना गलत है कि जिला न्यायाधीशों या अधीनस्थ न्यायपालिका के किसी भी संवर्ग में पहले से मौजूद या बनाए गए स्वीकृत पदों को भरने के लिए आरक्षण की किसी भी योजना को लागू करने का ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती और नियुक्ति की अवधारणा से कोई लेना-देना नहीं होगा। उच्च न्यायालय के साथ परामर्श किए बिना उच्च न्यायालय पर आरक्षण की कोई भी योजना लागू करने से सीधे तौर पर उच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की शक्ति को कम कर दिया जाता है-शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।

79

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

इन रिक्तियों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती में और इसलिए आरक्षित पदों पर ऐसी नियुक्तियां संस्थापक पिता द्वारा उस उद्देश्य के लिए अधिनियमित संविधान की योजना से पूरी तरह से परे होंगी। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 335 के साथ पठित अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण की योजना में अंतर्निहित सामाजिक न्याय की अवधारणा को ऐसा नहीं कहा जा सकता है जिसे उच्च न्यायालय एक जिम्मेदार संवैधानिक पदाधिकारी होने के नाते अनिवार्य रूप से नजरअंदाज कर देगा। वास्तव में यह आवश्यक है कि सही निर्णय सही तरीके से लिया जाए। वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि पटना उच्च न्यायालय ने पहले ही अधीनस्थ न्यायपालिका के जमीनी स्तर पर मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट की भर्ती में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए सहमति दे दी है और बिहार के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से अनुच्छेद 234 के तहत बनाए गए नियमों ने इस तरह के आरक्षण की अनुमति दी है। इस प्रकार, ऐसा नहीं है कि आरक्षण का उद्देश्य उच्च न्यायालय के संदर्भ के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन उसे जबरदस्ती पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इस प्रकार कार्यपालिका और राज्यपाल से उच्च न्यायालय के साथ एक प्रभावी बातचीत की अपेक्षा की जाती है ताकि अनुच्छेद 234 के तहत नियमों के माध्यम से उचित आरक्षण योजना को अपनाया जा सके और यहां तक कि अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायपालिका में सीधी भर्तियों के लिए पदों के आरक्षण का कोटा निर्धारित किया जा सके। यह संवैधानिक योजना है जिसका पालन उच्च न्यायालय और राज्यपाल के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाली कार्यपालिका दोनों द्वारा किया जाना आवश्यक है। लेकिन संवैधानिक योजना के इस जोर को मंजूरी नहीं दी जा सकती है और न ही विधायिका द्वारा अपनी कथित स्वतंत्र विधायी शक्ति का प्रयोग करने में उच्च न्यायालय के परामर्श को अस्वीकार करने के लिए पूरी प्रक्रिया को शीर्षस्थ किया जा सकता है। ”

(41) प्रेम पाल के प्रतिनिधित्व पर भारत संघ से ली गई कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए और उच्च न्यायालय की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करते हुए और उच्च न्यायालय से आगे परामर्श नहीं करते हुए और यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उच्च न्यायालय के प्रस्ताव को साझा नहीं किया गया था और परामर्श का अभाव है और जाहिर तौर पर संवैधानिक पीठ द्वारा निर्धारित टिप्पणियों का उल्लंघन है, उसे भेजने के लिए कहते हुए उसी पर वापस आ जाना। इस प्रकार हम 80

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

अभिनिर्धारित करें कि तीसरे पक्ष की कानूनी राय लेने पर राज्य सरकार की कार्रवाई उचित नहीं है। प्रश्न सं. (ii):

क्या राज्य सरकार या उच्च न्यायालय की कार्रवाई मनमाना थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुरूप नहीं थी और क्या उच्च न्यायालय के साथ प्रभावी परामर्श किया गया था?

(42) जो तर्क दिया गया है वह यह है कि साक्षात्कार में न्यूनतम 50 प्रतिशत की आवश्यकता उम्मीदवारों के सामने नहीं रखी गई थी और उच्च न्यायालय का निर्णय मनमाना था। घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि इस तरह का निर्णय निर्विवाद रूप से 11.11.2021 पर वापस लिया गया था, जिसमें भर्ती और पदोन्नति समिति (सुपीरियर ज्यूडिशियरी सर्विसेज) ने पंजाब और हरियाणा के सहयोगी राज्यों में सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विसेज में पदोन्नति के मामले में एकरूपता लाने के लिए उन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रासंगिक तिथि निर्धारित की थी, जिन्हें उक्त सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विसेज तक भरा जाना था। यह योग्यता-सह-वरिष्ठता नियम और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर किया जाना था। दोनों राज्यों में लागू होने वाले नियमों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित नियमों के अनुसार उपयुक्तता परीक्षा के संबंध में लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक और वाइवा-वॉयस में व्यक्तिगत रूप से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था जो एक उम्मीदवार को पदोन्नति के लिए योग्य बनाएगा। प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः -

“पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 2007 के नियम 7 (3) (ए) और हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 2007 के नियम 6 (1) (ए) के संदर्भ में, उपयुक्तता परीक्षा में 75 अंकों की लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा और 25 अंकों की मौखिक परीक्षा शामिल होगी ताकि उच्च कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए कानूनी क्षेत्र में कानूनी ज्ञान और दक्षता का आकलन किया जा सके। लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक और वाइवा वॉयस में व्यक्तिगत रूप से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने से उम्मीदवार पदोन्नति के लिए पात्र हो जाएगा। ”

(43) यह विवादित नहीं है कि इस हिस्से ने पहले के मानदंडों को हटा दिया था जिसका पालन किया जा रहा था जिसे 29.01.2013 पर तय किया गया था। पूर्ण न्यायालय द्वारा 30.11.2021 पर मानदंड को स्वीकार किया गया था और एसीआर के संबंध में केवल अन्य भाग और पहले के मानदंडों के भाग (iii) में आने वाले बेंचमार्क को संशोधित किया गया था और मामले को व्यापक जांच के लिए दो समितियों को भेजा गया था।

यह पहलू भी शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य हैं।

81

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

चंद्रमौलेश्वर प्रसाद (ऊपर), जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि याचिकाकर्ता को अस्थायी जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना परामर्श के अभाव में संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुपालन में नहीं थी। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय को प्रधानता देते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां आईं, जिसमें उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में जिला सिंहभूम में स्थानांतरित कर दिया था, जबकि जिला और सत्र न्यायाधीश, आरा के रूप में पहले के अधिकारी की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई थी। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः -

“7. सवाल यह उठता है कि क्या 17 अक्टूबर, 1968 की अधिसूचना जारी करने में सरकार की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुपालन में थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिला न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति राज्यपाल पर निर्भर करती है, लेकिन वह अपनी पहल पर नियुक्ति नहीं कर सकता है और उसे 82 में ऐसा करना चाहिए।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

उच्च न्यायालय के साथ परामर्श। अनुच्छेद का अंतर्निहित विचार यह है कि उच्च न्यायालय के साथ विचार-विमर्श के बाद राज्यपाल को अपना मन बनाना चाहिए। उच्च न्यायालय वह निकाय है जो उन अधिकारियों की दक्षता और गुणवत्ता से अच्छी तरह परिचित है जो जिला न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत होने के योग्य हैं। केवल उच्च न्यायालय ही उनकी खूबियों और कमियों को जानता है। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई किसी भी सलाह को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अनुच्छेद यह अपेक्षा करता है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय से उन व्यक्तियों के गुण या दोषों पर अपने विचार प्राप्त करने चाहिए जिनके बीच पदोन्नति का विकल्प सीमित होना है। यदि उच्च न्यायालय 'क' की सिफारिश करता है, जबकि राज्यपाल की राय है कि 'ख' का दावा 'क' से बेहतर है, तो राज्यपाल का दायित्व है कि वह 'ख' की नियुक्ति के अपने प्रस्ताव के संबंध में उच्च न्यायालय से परामर्श करे, न कि 'क' की। यदि राज्यपाल को 'ख' की नियुक्ति उच्च न्यायालय के विचार प्राप्त किए बिना करनी है, तो 'क' की नियुक्ति को संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुपालन में नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय और सचिवालय के बीच 28 सितंबर 1968 से 7 अक्टूबर 1968 तक पारित पत्र से पता चलता है कि जहां उच्च न्यायालय ने निश्चित रूप से यह माना था कि मिश्रा को वरिष्ठ अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में चक्रवर्ती से कार्यभार संभालने का निर्देश दिया जाना चाहिए, वहीं सरकार का यह विचार नहीं था कि अपने नियुक्ति विभाग के अभिलेखों के अनुसार मिश्रा अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों में शाहाबाद में वरिष्ठ अधिकारी थे। सरकार ने कभी भी उच्च न्यायालय को यह सुझाव नहीं दिया कि याचिकाकर्ता मिश्रा से वरिष्ठ था या याचिकाकर्ता का मिश्रा से बेहतर दावा था और इसलिए वह व्यक्ति जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त होने के लिए उपयुक्त था, 17 अक्टूबर, 1968 की अधिसूचना से पहले सरकार ने कभी भी अस्थायी नियुक्ति के याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में उच्च न्यायालय के विचारों का पता लगाने का प्रयास नहीं किया या उच्च न्यायालय को इसके संबंध में अपने स्वयं के विचारों का कोई संकेत नहीं दिया, सिवाय मिश्रा के आरा में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के संवर्ग में वरिष्ठ अधिकारी होने के बारे में असहमति दर्ज करने के। अनुच्छेद 233 के तहत उच्च न्यायालय के साथ परामर्श एक खाली औपचारिकता नहीं है। जहाँ तक जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में अधिकारियों की पदोन्नति का संबंध है, उच्च न्यायालय सबसे उपयुक्त है-शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।

83

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों के दावों और गुणों पर निर्णय लेना। राज्यपाल अनुच्छेद 233 के तहत अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर सकता है यदि वह किसी व्यक्ति की नियुक्ति उसके संबंध में उच्च न्यायालय के विचारों का पता लगाए बिना करता है। बिहार राज्य की ओर से यह जोरदार ढंग से तर्क दिया गया था कि न्यायालय के समक्ष सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि 17 अक्टूबर, 1968 की अधिसूचना जारी होने से पहले उच्च न्यायालय के साथ परामर्श किया गया था। यह कहा गया था कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार को अपने विचार दिए थे। सरकार को सभी तथ्यों के साथ तैनात किया गया था और अनुच्छेद 233 के उद्देश्य के लिए पर्याप्त सहमति थी। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। विचार-विमर्श या विचार-विमर्श पक्षकारों के समक्ष पूर्ण या प्रभावी नहीं होता है ताकि वे अपने-अपने दृष्टिकोण को दूसरे या अन्य लोगों को बता सकें और उनके विचारों के सापेक्ष गुणों पर चर्चा और जांच कर सकें। यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक प्रस्ताव देता है जिसके दिमाग में एक जवाबी प्रस्ताव है जो प्रस्तावक को सूचित नहीं किया जाता है, तो बिना कुछ और किए जवाबी प्रस्ताव को प्रभावी बनाने का निर्देश, परामर्श के बाद जारी किया गया नहीं कहा जा सकता है। हमारी राय में, 17 अक्टूबर, 1968 की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुपालन में नहीं थी। परामर्श के अभाव में 17 अक्टूबर, 1968 की अधिसूचना की वैधता को कायम नहीं रखा जा सकता है। (44) इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय यह दर्शाता है कि राज्य सरकार को एक अलग निर्णय लेने और इस न्यायालय की सिफारिश को एक हस्तक्षेपकारी मध्यस्थ, अधिवक्ता प्रेम पाल, जो किसी भी तरह से चयन प्रक्रिया से दूर से जुड़े नहीं थे, के आधार पर खारिज करने का अधिकार नहीं था।

(45) एक अन्य संवैधानिक पीठ के फैसले में घर के करीब

पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में पारित किया गया और अन्य (ऊपर) वर्ष 1975 में विवाद पदोन्नति के साथ-साथ न्यायमूर्ति एन. एस. राव नामक एक सीधी भर्ती की पुष्टि की शक्ति के बारे में था क्योंकि वह तब उच्च न्यायालय में थे न कि सरकार के साथ। सरकार ने उक्त अधिकारी को वापस करने का आदेश पारित किया था और इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पुष्टि करने की शक्ति नियुक्त करने की शक्ति का हिस्सा थी और राज्यपाल नियुक्ति प्राधिकरण थे और पुष्टि उनके द्वारा मंत्री की सलाह पर की जानी थी और पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायालयों के नियंत्रण का मामला नहीं था। उक्त निर्णय को यह मानते हुए उलट दिया गया कि 84

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

जिला न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति और पदोन्नति का पूरा नियंत्रण उच्च न्यायालय के पास निहित था, जबकि कुसेश्वर सैकिया (ऊपर) द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा करते हुए। परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया गया कि जिला न्यायाधीशों पर नियंत्रण में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति शामिल है और सरकार द्वारा इस तरह से परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः - “49. जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त या पदोन्नत व्यक्तियों की पुष्टि स्पष्ट रूप से इन कारणों से उच्च न्यायालय के नियंत्रण में है। जब व्यक्तियों को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है या व्यक्तियों को जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाता है तो नियुक्ति का कार्य और पदोन्नति का कार्य पूरा हो जाता है और इससे अधिक कुछ नहीं किया जाना बाकी रहता है। परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने पर एक अधिकारी की पुष्टि न तो नई नियुक्ति है और न ही नियुक्ति का पूरा होना। पुष्टिकरण का ऐसा अर्थ नियुक्ति को पुष्टिकरण तक एक निरंतर प्रक्रिया बना देगा। जिला न्यायाधीशों की पुष्टि उच्च न्यायालय के नियंत्रण में निहित है क्योंकि यदि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद राज्यपाल जिला न्यायाधीशों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे तो पुष्टि होने तक जिला न्यायाधीशों का दोहरा नियंत्रण होगा। उस मामले में उच्च न्यायालय का नियंत्रण होगा, जिला न्यायाधीशों ने पुष्टि की और राज्यपाल का अपुष्ट जिला न्यायाधीशों पर नियंत्रण होगा। यह अनुच्छेद 235 नहीं है। ” (46) महिंदर कुमार (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जा सकता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक सामान्यीकरण प्रक्रिया अपनाई गई थी और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि योग्यता एक मौलिक मानदंड था और इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि किसी भी पीड़ित उम्मीदवार ने चयन समिति के किसी भी सदस्य के खिलाफ दुर्भावना या प्रामाणिकता की कमी का कोई आरोप नहीं लगाया है। उच्च न्यायालय को अंकों के मूल्यांकन के उद्देश्य से अपनी निष्पक्ष प्रक्रिया निर्धारित करने का पूरी तरह से अधिकार था और इसमें कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती थी। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः -

“61. जब हम उक्त प्रश्न पर विचार करते हैं, तो यह ध्यान में रखना होगा कि दोनों पक्षों द्वारा हमारे सामने रखे गए विभिन्न निर्णयों में, सामान्य सिद्धांत यह है कि उच्च न्यायपालिका में किसी पद के लिए चयन के मामले में एम. ई. आर. आई. टी. मौलिक मानदंड होना चाहिए। उक्त प्रस्ताव पर कोई भी विवाद नहीं कर सकता है।

इसलिए, शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य क्या होना चाहिए?

85

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

अंततः इस बात की जांच की जाती है कि क्या प्रवेश स्तर के जिला न्यायाधीशों के चयन के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, दिनांक 1 के विज्ञापन के अनुसार, जिसके कारण अंतिम चयन और तीसरे प्रतिवादी की नियुक्ति हुई, जबकि शेष 14 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया, में त्रुटि पाई जा सकती है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि किसी भी पीड़ित उम्मीदवार ने चयन समिति के किसी भी सदस्य के खिलाफ या उस मामले के लिए साक्षात्कार समिति द्वारा साक्षात्कार आयोजित करने के तरीके या जिला न्यायाधीशों द्वारा प्राप्त अंकों के मूल्यांकन या सामान्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा अंततः प्राप्त अंकों के सामान्यीकरण के संबंध में दुर्भावना या ईमानदारी की कमी का कोई आरोप नहीं लगाया है। एकमात्र निवेदन यह था कि चयन समिति द्वारा सामान्यीकरण प्रक्रिया का सहारा लेने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली चयन प्रक्रिया के बीच में एक प्रस्थान थी और इसलिए, उस स्कोर पर अंतिम चयन को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। जहाँ तक उक्त चुनौती का संबंध है, हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि नियम 7 के तहत उच्च न्यायालय में निहित शक्ति के साथ-साथ विज्ञापन के पैराग्राफ 9, विशेष रूप से पैरा 9 (iv) को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय को अंतिम चयन करने के लिए उम्मीदवारों के अंकों के मूल्यांकन के उद्देश्य से अपनी निष्पक्ष प्रक्रिया निर्धारित करने का पूरी तरह से अधिकार था। इसलिए, चयन समिति का गठन करके उच्च न्यायालय द्वारा की गई चयन प्रक्रिया और उक्त चयन समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर किसी अन्य हमले के अभाव में, जो अंततः चयन को अंतिम रूप देने के लिए चुने गए 15 उम्मीदवारों की योग्यता सूची पर पहुंची, यह अभिनिर्धारित करना होगा कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई उक्त प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है। ”

(47) शीर्ष के फैसले पर भरोसा किया जा सकता है

और अन्य 29 ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक बार नियम लागू हो जाने के बाद शेट्टी आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए और इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया। नियमों के महत्व पर प्रकाश डाला गया था और एक बार यह माना जा चुका है कि नियम चुप है, तो राय पर कुछ भी निर्भर नहीं करेगा। 29 2014 (2) एससीसी 158 86

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

आयोग द्वारा दिया गया। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः -

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 17. हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को अनुचित महत्व देते हुए गलती की, विशेष रूप से जब नियमों में विचाराधीन पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 233 भी जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु के बारे में चुप है। ”

(48) रेणु और अन्य (ऊपर) में पारित निर्णय पर भरोसा किया गया

श्री राजीव आत्मा राम उस मुद्दे से संबंधित हैं जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय चतुर्थ श्रेणी की शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य की नियुक्ति से संबंधित था।

87

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

संस्थागत भूखंडों के आवंटन से संबंधित जो किसी के विज्ञापित भूखंडों से अधिक थे। समन्वय पीठ ने देखा था कि संपत्ति विक्रेताओं और घाटे में चल रही कंपनियों को आवंटन किया गया था और ऐसी परिस्थितियों में कहा गया था कि कोई पूर्व निर्धारित मानदंड प्रकाशित नहीं किया गया था और चयन समिति के समक्ष कुछ भी नहीं था, जिसके तहत निजी उत्तरदाताओं के पक्ष में सिफारिशें की गई थीं। व्यापक जनहित में और हुडा के हित में, पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक नीलामी का सहारा लेने का निर्देश दिया और इसलिए, उक्त फैसले से ज्यादा सहायता नहीं ली जा सकती है। (50) हेड कांस्टेबल सरदूल सिंह (ऊपर दिए गए) के फैसले के करीब से अवलोकन से पता चलता है कि यह 30 2006 (2) एससीटी 462 88 के लिए हेड कांस्टेबल के विचार के अधिकारों और चयन प्रक्रिया से संबंधित था।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक का पद। ऐसी परिस्थितियों में, पूर्ण पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ज्ञापन पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुलिस नियमों के विपरीत जारी किया गया था और इसलिए, उक्त निर्देशों को अमान्य माना गया था, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया था, जिसे अकेले पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत नियम बनाने का अधिकार था। इसलिए, किसी भी संवैधानिक दिशानिर्देश और वर्तमान मामले में अधिसूचित किए जा रहे नियमों के अभाव में, उक्त निर्णय लागू नहीं होगा। श्री आत्मा राम का यह तर्क कि नियमों के पूरक के लिए कार्यकारी निर्देशों को लागू नहीं किया जा सकता है, यदि कोई अंतर स्पष्ट रूप से के. एच. सिराज (उपरोक्त) में ही निर्धारित कानून के खिलाफ प्रतीत होता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय उस नियम का पूरक होगा जो मामले के हर पहलू से नहीं निपट सकता है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः -

“62. इस प्रकार यह देखा गया है कि नियम 7 के तहत शक्ति के विस्तार के अलावा उच्च न्यायालय के लिए यह स्पष्ट रूप से खुला है कि वह सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभा प्राप्त करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के लिए बेंच अंक निर्धारित करे। इस तरह की प्रक्रिया को अपनाने से रोकने के लिए नियमों में कुछ भी नहीं है। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि कार्यकारी निर्देश हमेशा उन नियमों के पूरक हो सकते हैं जो किसी मामले के हर पहलू से संबंधित नहीं हैं। यह मानते हुए भी कि नियम 7 में कोई विशेष न्यूनतम निर्धारित नहीं किया गया है, यह उच्च न्यायालय के लिए खुला था कि वह चयन के लिए विज्ञापन में प्रासंगिक मानकों को निर्धारित करके उन्हें लागू करने की दृष्टि से नियम का पूरक बने। गुजरात राज्य बनाम अखिलेश सी. भार्गव और अन्य, (1987) 4 एस. सी. सी. 482 में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है।

(51) यह हमारे ध्यान में लाया गया था कि एक मोड़ था

वाइवा वॉइस के लिए कोई कट-ऑफ अंक नहीं के सिद्धांत के बारे में सिफारिशों पर चुप रहें। इस तथ्य पर भी ध्यान दिया गया था कि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने साक्षात्कार के लिए न्यूनतम कट-ऑफ अंक निर्धारित किए थे।

31 2016 (10) एस. सी. सी. 484 शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

89

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

(52) यदि किसी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखना है, तो राज्य सरकार अपने प्रयास में व्यक्तियों की वरिष्ठता पर जोर देना चाहती है, जो उसकी राय में मेधावी का चयन करने और एक साक्षात्कार की प्रक्रिया द्वारा सीमा बढ़ाने से प्रभावित हुई है, जिसमें वैधानिक नियमों में परिकल्पित स्थिति के अनुसार उम्मीदवारों की उपयुक्तता की जांच की गई है। के. एच. सिराज (उपरोक्त) में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय इस मामले में सबसे अच्छा न्यायाधीश है और उच्च परंपराओं और मानकों को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 233 से 235 के तहत अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए पूरा प्रशासन निहित है। साक्षात्कार उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका था। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः -

“49. जहाँ तक पहली प्रस्तुति का संबंध है, हम पहले ही पैरा में नियम 7 निकाल चुके हैं। नियम 7 को इस पृष्ठभूमि में पढ़ा जाना चाहिए और नियम 7 के तहत प्रदत्त उच्च न्यायालय की शक्ति को इस आधार पर तय किया जाना चाहिए। उक्त नियम में उच्च न्यायालय से पहले लिखित और मौखिक परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता है। दूसरा अधिदेश मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की एक चुनिंदा सूची तैयार करना है। 'उपयुक्त' शब्द का उपयोग ही उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति की प्रकृति और विस्तार और उम्मीदवारों के चयन के मामले में उसे जो कर्तव्य निभाना है, उसे दर्शाता है। केवल उच्च न्यायालय ही जानता है कि अधीनस्थ न्यायपालिका की क्या आवश्यकताएँ हैं, न्यायिक अधिकारी के पास न्यायिक पक्ष और प्रशासनिक पक्ष दोनों में कौन से गुण होने चाहिए क्योंकि वह मुन्सिफ के रूप में या अधीनस्थ न्यायाधीशों की उच्च श्रेणियों में कर्तव्यों का पालन करता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला न्यायाधीश जिनके लिए उम्मीदवारों को पदोन्नत किया जा सकता है, उन्हें प्रशासनिक क्षमताओं की भी आवश्यकता होती है। चूँकि उच्च न्यायालय चयन का उचित तरीका क्या होना चाहिए, इसका सबसे अच्छा न्यायाधीश है, इसलिए नियम 7 ने इसे उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया है कि वह ऐसी प्रक्रिया का पालन करे जो उसे उचित लगे। उच्च न्यायालय को संवैधानिक योजना के आलोक में अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है ताकि न्यायपालिका के संचालन के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभा का चयन किया जा सके। 50. उच्च न्यायालय ने दिनांकित 26.3.2001 अधिसूचना द्वारा जो किया है, वह सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभाओं को चुनने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करना है। एक पल के लिए भी यह नहीं कहा जा सकता कि 90

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

51. नियम 7 की योजना और आयाम जिसके तहत चयन किया जाता है, अपीलार्थियों के तर्क का पर्याप्त जवाब है। भारतीय संविधान की योजना के तहत, उच्च न्यायालय कला के तहत अधीनस्थ न्यायपालिका के पूरे प्रशासन के साथ निहित है। 233, 234 और भारत के संविधान की धारा 235। उच्च न्यायालय के पास यह देखने की शक्ति है कि न्यायपालिका की उच्च परंपराओं और मानकों को अधीनस्थ न्यायपालिका को चलाने के लिए उचित व्यक्तियों के चयन द्वारा बनाए रखा जाता है। 52. न्याय प्रशासन के मामले में उच्च न्यायालय का स्थान बहुत विस्तृत था और शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

91

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

एस. बी. मजमुदार, जे. ने (2000) 4 एस. सी. सी. 640 में संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि संवैधानिक योजना के तहत उच्च न्यायालय पर बहुत जिम्मेदार और भारी कर्तव्य डाला गया है और इसे इस मामले में एक प्रमुख और सर्वोपरि स्थान दिया गया है, जिसमें अधीनस्थ न्यायपालिका का संचालन करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभा का चयन करने की आवश्यकता है। उक्त निर्णय में गलत चुनाव के नतीजों की ओर भी इशारा किया गया है। 53. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं ने स्वयं लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम कट ऑफ अंकों के प्रिस्क्रिप्शन को चुनौती नहीं दी है, हालांकि यदि उनके तर्क को स्वीकार किया जाना है, तो इस तरह के न्यूनतम कट ऑफ का प्रिस्क्रिप्शन भी समान रूप से अमान्य होगा। हमर दृष्टिसँ हुनक तर्कमे कोनो सार आ योग्यता नहि अछि। 54. हमारी राय में, साक्षात्कार किसी विशेष पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। जबकि लिखित परीक्षा उम्मीदवारों के शैक्षणिक ज्ञान की गवाही देगी, केवल मौखिक परीक्षा ही उनके समग्र बौद्धिक और व्यक्तिगत गुणों जैसे सतर्कता, संसाधन, निर्भरता, चर्चा की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व के गुण आदि को सामने ला सकती है या प्रकट कर सकती है जो एक न्यायिक अधिकारी के लिए भी आवश्यक हैं। ”

(53) ऐसी परिस्थितियों में, राज्य के लिए अब यह अभिनिर्धारित करना कि यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति के लिए न्यायिक अधिकारी के पास क्या गुण होने चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर अभ्यावेदन के कारण जो उक्त मुद्दे से प्रभावित भी नहीं है, वह किसी तीसरे पक्ष से राय लेगा, अर्थात् भारत संघ उच्च न्यायालय के कामकाज की स्वतंत्रता पर गंभीर हमला होगा, जिसे चयन प्रक्रिया के साथ निर्धारित किया गया है, जिसे बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या के तीन गुना के पूल से करने की मांग की गई थी। (54) धीरज मोर (उपरोक्त) मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि समान अवसर दिए जाने और वरिष्ठता और क्षमता पदोन्नति के लिए मानदंड हैं और योग्यता आधारित पदोन्नति में वरिष्ठता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। एक बार जब उक्त सिद्धांत दोनों राज्यों के लिए तय हो गया था, तो हमें हरियाणा राज्य के लिए उन अधिकारियों के समूह के लिए एक अलग रुख रखने का कोई ठोस कारण नहीं मिलता है जो अनिर्बाचित रहते हैं और साक्षात्कार में कटौती नहीं करते हैं। इस प्रकार, राज्य के खिलाफ यह प्रश्न तय किया जाता है कि उच्च न्यायालय की कार्रवाई 92

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

किसी भी तरह से मनमाना नहीं था।

प्रश्न सं. (iii): क्या गैर-चयनित उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को यह बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है कि अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के 39 उम्मीदवारों का साक्षात्कार 50 प्रतिशत अंक निर्धारित करने के मानदंड के आधार पर किया गया था।

(55) यह भी तथ्य की बात है कि जिन उम्मीदवारों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया था और इसे स्वीकार कर लिया था, वे अब मदन लाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य 32 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर निर्धारित मानदंडों पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं, इस आधार पर कि वे असफल हैं। अन्यथा एक बार जब दोनों राज्यों के लिए मानदंड तय हो गए थे और दोनों राज्यों में 13 पदों के लिए दोनों राज्यों से 39 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, तो हमें कोई ठोस कारण नहीं दिखता है कि अब गैर-चयनित याचिकाकर्ता इस अदालत की सिफारिशों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं कैसे दायर कर सकते हैं, इस तथ्य से कि राज्य ने विवादित आदेश पारित कर दिया है। केवल विचार का अधिकार है जो नियमों के अनुसार और पूर्ण न्यायालय द्वारा विधिवत अपनाए गए मानदंडों के अनुसार किया गया है। केवल इसलिए कि वे अब सफल नहीं हैं, वे पलट नहीं सकते हैं, क्योंकि खेलों के नियम विशेष रूप से एक साल पहले ही निर्धारित किए जा चुके थे और उच्च न्यायालय उस आधार पर पदोन्नति को अंतिम रूप देने के लिए आगे बढ़ा था और इसलिए, यह उनका मामला नहीं है कि उसके बाद किसी भी समय पदोन्नति प्रक्रिया को संशोधित किया गया है। आई. डी. 1 दिनांकित संचार में यह सूचित किया गया था कि पदों को योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत पर पदोन्नति के माध्यम से भरा जा रहा था और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने में इस तथ्य का उल्लेख नहीं था कि उपयुक्तता परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के लिए निर्धारित कट-ऑफ क्या होगी और न ही कोई कानूनी आवश्यकता थी।

(56) डॉ. (मेजर) में भी निर्णय पर रिलायंस को रखा गया था।

रोक का सिद्धांत केवल तभी लागू होगा जब चयन प्रक्रिया में कोई अवैधता न हो। यदि संवैधानिक योजना का कोई उल्लंघन हुआ था तो उस पर हमला करने के अधिकार को केवल इस तथ्य के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता था कि उसने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। राजेश कुमार गुप्ता और अन्य 32 1995 (2) एस. सी. टी. 880 में निर्णय का उल्लेख करते हुए

33 2020 (1) एससीटी 469 शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

93

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

करदम और अन्य बनाम संजीव कुमार और अन्य 35। का एक अवलोकन उक्त निर्णय से पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया को चुनौती देने की अनुमति दी थी, हालांकि उन्होंने इसमें इस आधार पर भाग लिया था कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद से मानदंडों में बदलाव किया गया था, जिसमें शुरू में आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया था, जिसे विधिवत रूप से किया गया था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया था। दूसरी लिखित परीक्षा कभी आयोजित नहीं की गई थी और उसके बाद प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम वेटेज के साथ विज्ञापित पदों के आठ बार उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का निर्णय लिया गया था, जो प्रक्रिया भी छोड़ दी गई थी। किसी भी मानदंड के प्रकाशित होने के अभाव में, साक्षात्कार आयोग के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय पर आयोजित किए गए थे, जिसे केवल अध्यक्ष द्वारा लिए जाने की अनुमति नहीं थी और यह एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में लिया गया था जो सभी निर्णय ले सकता था। ऐसी परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल चयन की प्रक्रिया में भाग लेने से मनमाने परिवर्तन को चुनौती देने का अधिकार नहीं खो जाएगा और कानून में द्वेष के आरोप थे, जिसने योग्यता चयन को प्रभावित किया था और इस प्रकार, निर्णय गैर-चयनित उम्मीदवारों के वकील को बहुत दूर नहीं ले जाएगा।

(58) रिलायंस को भी फैसले पर रखा गया था

35 2020 (2) एससीटी 491 36 2022 आकाशवाणी एससी 2924 94

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

शिवानंदन सी. टी. (ऊपर) में पारित निर्णय यह तर्क देने के लिए कि उच्च न्यायालय से अपेक्षाओं की वैधता का अनुमान लगाया जाना था और यह स्थापित प्रक्रिया में निहित था। इस तरह से प्रस्थान एक गैरकानूनी कार्रवाई थी और इसलिए गैर-सुसंगत प्रथाओं की निंदा की गई थी और निर्धारित प्रक्रिया में पूर्वानुमेयता और अनुशंसित नहीं किए गए उम्मीदवार की वैध अपेक्षाओं पर जोर दिया गया था। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की सीधी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन पर भरोसा रखा गया था (अनुलग्नक पी - 14) 15.11.2023 पर यह इंगित करने के लिए कि खंड 8 (iv) के अनुसार साक्षात्कार में न्यूनतम अंक निर्धारित करने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं थी और अंकों को कुल मिलाकर गिना जाना था। हालाँकि, यह स्वीकार किया गया कि प्रत्यक्ष भर्तियों को 750 अंकों की लिखित परीक्षा और 250 अंकों की मौखिक परीक्षा से गुजरना पड़ता था, जबकि वर्तमान चयन प्रक्रिया में केवल एक उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी। तदनुसार, यह तर्क दिया गया कि वे न्यायिक अधिकारियों की सेवा कर रहे थे और 37 एयर 1973 एससी 2216 शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

95

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

(61) एक और दिलचस्प तथ्य जो ध्यान देने योग्य है कि गैर-चयनित उम्मीदवारों ने शुरू में किसी भी स्तर पर उक्त सिफारिशों को कभी चुनौती नहीं दी थी। केवल जब राज्य सरकार ने 06.09.2023 पर अंतरिम आदेश पारित करने के बाद 12.09.2023 पर अनुशंसित उम्मीदवारों के मामले को खारिज कर दिया, तो उन्होंने पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव को चुनौती देने का फैसला किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें इस न्यायालय के समक्ष न्यायिक उपचार के लिए 25.09.2023 दिनांकित आदेश के माध्यम से हटा दिया और परिणामस्वरूप मामलों को संबंधित मामलों के साथ जोड़ा गया। याचिकाकर्ताओं ने उन व्यक्तियों को भी शामिल नहीं करने का फैसला किया जिनके नाम उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 'आईडी1' द्वारा संबोधित संचार में उल्लिखित किए गए थे और इसलिए, उन्हें आवश्यक पक्षकारों के रूप में शामिल नहीं करने से रिट याचिकाएं बनाए रखने योग्य नहीं होंगी, हालांकि एक तर्क दिया गया है कि व्यक्तियों को केवल विचार का अधिकार है क्योंकि याचिकाकर्ता भी उसी श्रेणी में हैं और उन्हें साक्षात्कार समय का अपना उचित हिस्सा दिया गया था, लेकिन वे साक्षात्कार बोर्ड को प्रभावित करने में स्पष्ट रूप से विफल रहे। (62) यह उनका मामला नहीं है कि वे उन व्यक्तियों के बारे में नहीं जानते थे जिनकी सिफारिश की गई थी। जाहिरा तौर पर, गैर-सिफारिशकर्ता अपने मामलों के लिए जोर दे रहे हैं और प्रेम पाल जैसे व्यक्तियों के माध्यम से अनुशंसित मामलों को अस्वीकार करने के लिए और राज्य गैर-सिफारिशकर्ताओं को बाध्य कर रहा है, भले ही कहा गया कि व्यक्तियों को साक्षात्कार समिति का समर्थन नहीं मिला। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सुविचारित राय है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं/असफल उम्मीदवारों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उन्हें इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वे साक्षात्कार में उपस्थित हुए थे और इसलिए, वे इस मुद्दे पर सवाल करने के हकदार नहीं हैं कि क्या मानदंड सही तरीके से तय किए गए थे या गलत तरीके से तय किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस न्यायालय को अलग तरीके से निर्णय लेना है कि क्या अपनाई गई प्रक्रिया सही थी या नहीं। सिद्धांत रूप में मुद्दा 96 तक एकरूपता रखने का था।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

दिनांकित 11.11.2021। शिवानंदन सी. टी. (ऊपर) में संवैधानिक पीठ ने कहा था कि प्रशासनिक समिति का निर्णय उन वैधानिक नियमों का पूरक हो सकता है जो प्रशासनिक आदेश द्वारा नियमों के उद्देश्य और भावना के अनुरूप होने के लिए मौन थे। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैः -

“15. उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तेज प्रकाश पाठक (उपरोक्त) में संदर्भित व्यापक संवैधानिक मुद्दा वर्तमान मामले के तथ्यों पर निर्णय के योग्य नहीं होगा। स्पष्ट रूप से, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय नियम 2 (सी) (iii) के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। वास्तव में, सुनवाई के दौरान हमें इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि बाद में 2017 में नियमों में संशोधन किया गया है ताकि मौखिक परीक्षा में 35 प्रतिशत अंकों की कटौती निर्धारित की जा सके जो कि 30 सितंबर 2015 को चयन की वर्तमान प्रक्रिया शुरू होने के समय प्रचलित कानूनी स्थिति नहीं थी। उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने आवश्यक व्यक्तित्व वाले उम्मीदवारों के न्यायिक पद ग्रहण करने को सुनिश्चित करने के प्रामाणिक कारण से सक्रिय वाइवा-वॉस परीक्षा के लिए एक कट ऑफ लागू करने का निर्णय लिया। प्रशासनिक समिति का दृष्टिकोण चाहे कितना भी प्रशंसनीय रहा हो, इस तरह के परिवर्तन को नियमों में एक ठोस संशोधन द्वारा लाने की आवश्यकता होगी जो बहुत बाद में आया जैसा कि ऊपर देखा गया है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें उच्च न्यायालय के नियम या योजना चुप रहे। जहाँ वैधानिक नियम मौन हैं, वहाँ उन्हें एक प्रशासनिक आदेश द्वारा नियमों के उद्देश्य और भावना के अनुरूप तरीके से पूरक किया जा सकता है। ”

(63) पूर्ण न्यायालय के निर्णय को गैर-सिफारिशकर्ताओं, विशेष रूप से मोरेसो के हाथों दूर नहीं किया जा सकता है, जब यह चयन प्रक्रिया से बहुत पहले किया गया था, जिसे शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में शुरू किया गया था।

97

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

केवल दोनों राज्यों के लिए 24.08.2022 पर। एक राज्य ने इसे लागू किया है, जिन उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया है, उनकी अनुचित मांग स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। सुजाता कोहली (ऊपर) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा यह इंगित करने के लिए किया गया था कि अधिकारियों को पदोन्नति के लिए निष्पक्ष और उचित विचार दिए जाने के बाद पात्रता मानदंड पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। यह सही बताया गया था कि किसी भी स्तर पर योग्यता को नहीं छोड़ा जा सकता है और केवल इसलिए कि परिणाम अधिसूचित नहीं किए गए थे, इसलिए गैर-चयनित उम्मीदवार किसी भी निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः - “14. जैसा कि देखा गया है, अपीलार्थी की प्रमुख शिकायत यह है कि उसे पदोन्नति के लिए उसके मामले पर निष्पक्ष और उचित विचार से वंचित कर दिया गया है। अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी उच्च न्यायालय ने विवादित प्रस्तावों के माध्यम से जिला और सत्र न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के पदों पर पदोन्नति के लिए नए मानदंड विकसित किए, लेकिन उन्हें अधिसूचित नहीं किया गया और उन्हें उन नए मानदंडों के बारे में जागरूक नहीं किया गया, जिनके लिए विचार के आधार वर्ष से पहले पांच साल के एसीआर में 'ए' श्रेणीकरण की आवश्यकता होती है। अपीलार्थी की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी उच्च न्यायालय ने पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नए मानदंडों को लागू करने में अवैध और अनुचित तरीके से काम किया था जो उसके गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बना है। एक सहायक पहलू को भी इस तर्क में रखा गया है कि उच्च न्यायालय कार्यकारी अधिकारियों के लिए लागू मानदंडों के आधार पर न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए मानदंड तय करने में सही नहीं था, जबकि कानून की अवहेलना करते हुए कि अन्य सेवाओं के सदस्यों को न्यायपालिका के सदस्यों के बराबर नहीं रखा जा सकता है। 15. यह जांचने के लिए कि क्या अपीलार्थी कानूनी शिकायत का एक वैध मामला बनाने में सक्षम रहा है, मामले में लागू होने वाले बुनियादी कानूनी प्रावधानों और सिद्धांतों का एक संक्षिप्त संदर्भ उपयुक्त होगा। ” (64) उक्त निर्णय के अवलोकन से यह पता चलता है कि जिला न्यायाधीश के पद पर चयन के लिए योग्यता-सह-श्रेष्ठता के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालाँकि, जैसा कि हम इस मुद्दे पर विस्तार से गए हैं, हमारा मानना है कि पूर्ण न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों पर सवाल उठाने का उनका कोई अधिकार नहीं है।

प्रश्न सं. (iv):

98

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

मुक्त सद्गुरु श्री मुक्त जीवनदासवासी सुवर्णा जया बनाम वी. आर. रुदानी और अन्य 38. उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः -

“22. यहाँ हम फिर से इंगित कर सकते हैं कि इस आधार पर अनिवार्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लागू किए जाने का कर्तव्य क़ानून द्वारा लागू नहीं किया गया है। इस कानून के विकास पर टिप्पणी करते हुए, प्रोफेसर डी स्मिथ कहते हैंः "सार्वजनिक कर्तव्य को अनिवार्य रूप से लागू करने योग्य होने के लिए आवश्यक नहीं है कि वह कानून द्वारा लगाया गया हो। चार्टर, सामान्य कानून, प्रथा या यहाँ तक कि अनुबंध द्वारा लगाए गए कर्तव्य के लिए यह पर्याप्त हो सकता है। (प्रशासनिक अधिनियम की न्यायिक समीक्षा चौथी सं. पृ. 540). हम इस विचार से सहमत हैं। लोगों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले निकायों की तेजी से बढ़ती भूलभुलैया पर न्यायिक नियंत्रण को जलरोधक डिब्बे में नहीं डाला जाना चाहिए। इसे परिवर्तनशील परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीला होना चाहिए। मैंडमस एक बहुत व्यापक उपाय है जो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए 'जहाँ भी अन्याय पाया जाए'। अनुच्छेद 226 के तहत उस राहत को देने के रास्ते में तकनीकी बाधाएं नहीं आनी चाहिए। हम, इसलिए, रिट याचिका की स्थिरता पर अपीलकर्ताओं के लिए आग्रह किए गए तर्क को अस्वीकार करते हैं। ”

38 ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 1607 शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

99

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

(66) यह रिकॉर्ड की बात है कि सिफारिशों को रोकने में राज्य की निष्क्रियता के कारण हरियाणा राज्य में अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के समक्ष मामले की विचाराधीनता मार्च, 2023 से बढ़कर दिसंबर, 2023 हो गई है। वर्तमान में उच्च न्यायालय के वकील द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार हरियाणा राज्य में उच्च न्यायिक न्यायालयों के समक्ष मामले लंबित हैं। इसने हमारे संज्ञान में यह भी लाया है कि पंजाब राज्य में विचाराधीनता कम हो गई है क्योंकि उक्त राज्य ने उच्च न्यायालय की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और अप्रैल, 2023 तक अधिकारियों को प्रभावी रूप से तैनात कर दिया था, जिसके कारण मुकदमेबाजी कम हो गई थी। दोनों राज्यों में 01.04.2023 और 01.11.2023 पर लंबित मामलों की कुल संख्या नीचे दी गई हैः -

राज्य

01.04.2023 पर विचाराधीनता

संस्थान 01.04.2023 से 31.10.2023 तक

आर. बी. टी

01.04.2023 से 31.10.2023 तक निपटान

स्थानांतरण

01.11.2023 पर विचाराधीनता

इंक/डिस

पंजाब

266881

149250

1073

148732

1641

266831

(-)50

हरियाणा

271175

155405

426

146478

241

280287

(+)9112

(67) विभिन्न न्यायालयों की स्थापना को ध्यान में रखते हुए न्यायिक पक्ष की ओर से यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए और नई मूर्तियों के विचाराधीन होने के कारण अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अब पहले मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायालय हैं और अब केवल अपीलीय न्यायालय नहीं हैं। इस प्रकार, मूल अधिकार क्षेत्र के कारण मध्य स्तर में विचाराधीनता बढ़ गई है जो अब उक्त न्यायालयों के पास निहित है। उस प्रणाली के कुशल संचालन के लिए, जिसमें हरियाणा राज्य में वर्तमान में 41 रिक्तियां हैं, यह राज्य का नैतिक/कानूनी और संवैधानिक दायित्व है कि वह कानून के स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय की सिफारिशों का पालन करे कि उच्च न्यायालय का अपने स्वयं के अधिकारियों को निर्णय देने का दृष्टिकोण असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर हस्तक्षेप करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह सिफारिशों को स्वीकार करे और यह सुनिश्चित करे कि न्यायिक प्रणाली में जनहित का कोई क्षरण न हो और यह उच्च न्यायालय का दायित्व है कि वह न्यायपालिका की पवित्रता को बनाए रखे और यह सुनिश्चित करे कि वितरण प्रणाली प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो और यदि न्यायिक प्रणाली पर अतिक्रमण की अनुमति दी जाए और आदेश जारी करके विचलन को ठीक नहीं किया जाए तो यह अपने कर्तव्य में विफल होगा। एम. एम. गुप्ता (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही यह देखा जा चुका है कि सीधे या पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति कार्यपालिका के साथ पैरवी करने का प्रयास करेंगे और इन नियुक्तियों को प्राप्त करने के लिए सरकार का पक्ष लेंगे। प्रेम पाल का पत्र एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक न्यायिक अधिकारी के मामले को स्पष्ट रूप से पदोन्नति की मांग के उद्देश्य से प्रमाणित किया जा रहा है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

उच्च न्यायालय ने उन्हें खारिज कर दिया था। ऐसी परिस्थितियों में मुख्य रूप से राज्य में न्यायिक प्रशासन को सौंपा गया है और अपनी जिम्मेदारियों के कुशल और उचित निर्वहन के लिए, उच्च न्यायालय ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सर्वोत्तम न्यायाधीश के रूप में उचित अधिकारियों के होने का कार्य किया था। इस प्रकार, वरिष्ठता के सिद्धांत को नियमों के खिलाफ बताते हुए सरकार की मांग पर सिफारिश को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

(68) एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य 39 में,

न्यायमूर्ति ई. एस. वेंकटरमैया की असहमतिपूर्ण राय पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हालांकि परमादेश की शक्ति योग्य है और आम तौर पर न्यायालय अनिच्छुक होगा, लेकिन न्यायाधीशों की संख्या की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए, रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाने के लिए इसे जारी किया जाना चाहिए। यह राज्यपाल या राष्ट्रपति का संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्य है, जिसे इस तरह के आदेश जारी करके अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए कहा जा सकता है। एकमात्र चेतावनी यह थी कि जिस तरीके से कर्तव्य किया जाना है उसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, निर्देश जारी किया जा सकता है कि सिफारिशों को स्वीकार किया जाए, क्योंकि अस्वीकृति गलत धारणा के खिलाफ है कि नियमों में कोई संशोधन किया गया था। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः - “1251. संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बावजूद, जैसा कि 'मैंडमस' शीर्षक के तहत अमेरिकी न्यायशास्त्र 2 डी के खंड 52 के पैरा 141 के अंतिम भाग से देखा जा सकता है, यदि यह किसी राज्यपाल या राष्ट्रपति का संवैधानिक या वैधानिक कर्तव्य है कि वह किसी निश्चित मामले के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग करे, तो उसे ऐसा करने के लिए परमादेश द्वारा अपेक्षित किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से उसे उस कर्तव्य का निर्वहन करना है, उसे अदालतों द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर उल्लिखित अंग्रेजी निर्णय में देखा गया है कि यह स्पष्ट है कि एक वैधानिक विवेकाधिकार आवश्यक रूप से या वास्तव में आमतौर पर निरपेक्ष नहीं है, यह निर्णय लेने से पहले मूल और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए व्यक्त और निहित कानूनी कर्तव्यों द्वारा योग्य हो सकता है, क्या कार्य करना है और कैसे कार्य करना है। मेरा विचार है कि संविधान के अनुच्छेद 216 द्वारा राष्ट्रपति को पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति एक कर्तव्य के साथ एक शक्ति है और यह केवल एक राजनीतिक कार्य नहीं है। तत्काल मामले में आम तौर पर अदालत के पास 39 1981 सप्लीमेंट होंगे।

(1) एस. सी. सी. 87 शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

101

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण के कर्तव्य का पालन करने के लिए सरकार को कोई भी आदेश जारी करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन कई उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या की निर्विवाद रूप से पूर्ण अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए, यह अपरिहार्य प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार को उचित समय के भीतर उनमें स्थापित मामलों के निपटारे के लिए आवश्यक स्थायी न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने और इस तरह का निर्धारण करने के बाद रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। ”

(69) सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ 40 के फैसले में, उक्त पहलू असहमति का उल्लेख किया गया था और यहां तक कि महान्यायवादी ने भी अपने निवेदन में स्वीकार किया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में अनुचित देरी को आदेश जारी करके ठीक किया जा सकता है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः -

350. इसलिए विद्वान न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि काम के बोझ के आधार पर प्रत्येक उच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाने वाले स्थायी न्यायाधीशों की संख्या की समीक्षा करने के लिए सरकार को आदेश जारी किया जा सकता है। XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 368…………........विवाद बढ़ता रहा और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में एस. पी. गुप्ता के मामले में निर्णय के बाद की घटनाओं की बारीकी से निगरानी की जा रही थी। इस न्यायालय के अधिवक्ता श्री सुभाष शर्मा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 1987 के 1985,1303 की 13003 और 1989 की 302 रिट याचिकाएं दायर की गईं।

40 1993 (4) एससीसी 441 102

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और मानद सचिव, बॉम्बे बार एसोसिएशन, क्रमशः, सर्वोच्च न्यायालय और कई उच्च न्यायालयों और कुछ अन्य आनुषंगिक राहतों में रिक्तियों को भरने के लिए भारत संघ की कमान संभालने के लिए एक आदेश की मांग करते हैं। इन रिट याचिकाओं को एक साथ जोड़ा गया था क्योंकि आम याचिकाएं उठाई गई थीं और मांगी गई राहत प्रकृति में कमोबेश समान थी। जारी किए गए नियम के जवाब में, भारत संघ ने एक उपस्थिति दर्ज की और तर्क दिया कि याचिकाएं विचारणीय नहीं थीं क्योंकि उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरने का सवाल न्यायसंगत नहीं था जैसा कि एस. पी. गुप्ता के मामले में माना गया था। विद्वान महान्यायवादी द्वारा उठाई गई इस आपत्ति को न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने या न्यायाधीशों के चयन और मौजूदा रिक्तियों को भरने के बीच अंतर करते हुए खारिज कर दिया गया था। चूंकि दावा की गई राहत बाद के मुद्दे से संबंधित थी, इसलिए मुद्दे का मामला एस. पी. गुप्ता के मामले में अनुपात से समाप्त नहीं हुआ था। केंद्र में सरकार में बदलाव के साथ, उत्तराधिकारी अटॉर्नी जनरल श्री सोली सोराबजी ने आपत्ति वापस ले ली और कहा कि उनके विचार में यह भारत संघ का संवैधानिक दायित्व था कि वह उच्च न्यायालयों में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या प्रदान करे और चूक, इसे किसी भी अदालत के निर्देश से ठीक किया जा सकता है। दलीलों को सुनने वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ ने महसूस किया कि सही समय पर रिक्तियों को भरने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था और इसके बजाय केरल में न्यायाधीशों की संख्या वास्तव में बिना उचित औचित्य के दो पदों से कम हो गई थी। उनके नेतृत्व ने इस संबंध में एस. पी. गुप्ता के मामले में बहुमत के दृष्टिकोण की शुद्धता पर भी संदेह किया और महसूस किया कि इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि एक स्वतंत्र गैर-राजनीतिक न्यायपालिका हमारी चुनी हुई प्रणाली को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, उनके लॉर्डशिप्स ने प्रथम दृष्टया महसूस किया कि एस. पी. गुप्ता के मामले में बहुमत का दृष्टिकोण न केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को गंभीरता से कम करता है, बल्कि उसकी प्रधानता को भी नकारता है जो हमारी संवैधानिक योजना में निहित है। संवैधानिक उद्देश्य और प्रक्रिया के अनुरूप, यह अनिवार्य है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की संस्था की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाए। तो देखते हुए, उनके प्रभुत्त्व निम्नानुसार निर्देशित किए गएः गुप्ता के मामले में चार विद्वान न्यायाधीशों ने जो विचार साझा किया, हमारी राय में, वह विशेष और शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य को मान्यता नहीं देता है।

103

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 412. उपरोक्त पृष्ठभूमि में इस प्रश्न का उत्तर अभी भी कानूनी सिद्धांत पर दिया जाना चाहिए कि क्या मुद्दा न्यायोचित है या नहीं, यानी क्या यह अदालत के दायरे से बाहर है या क्या कोई निर्देश देना या रिट जारी करना उचित नहीं है, हालांकि न्यायसंगत है। यह मूल रूप से न्यायिक समीक्षा के दायरे का सवाल उठाता है। इस सिद्धांत के तहत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उन व्यक्तियों पर पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं जिन पर सार्वजनिक कृत्यों और कर्तव्यों के प्रदर्शन का आरोप होता है। यह अधिकार क्षेत्र अदालतों द्वारा प्राप्त किया गया था, हालांकि सामान्य कानून और एक उपयुक्त रिट जारी करके इसका प्रयोग किया गया था। आम तौर पर जिसकी समीक्षा की जाती है, वह कार्रवाई के गुण नहीं बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया है। न्यायालय का कर्तव्य आम तौर पर खुद को वैधता के प्रश्न तक सीमित रखना है अर्थात क्या प्राधिकरण ने अपनी शक्तियों को पार किया है या उनका दुरुपयोग किया है, क्या उसने प्राकृतिक 104 के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

न्याय या इसने तर्कहीन, अनुचित और मनमाने तरीके से या इसी तरह काम किया है। मोटे तौर पर, प्रशासनिक कार्रवाई तीन आधारों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है, अर्थात् (i) अवैधता; (ii) तर्कहीनता और (iii) प्रक्रियात्मक अनुचितता। लेकिन यह उन मामलों में सच हो सकता है जहां सार्वजनिक प्राधिकरण ने अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन किया है और कार्रवाई पर सवाल उठाया जाता है। लेकिन जहां आरोप है कि सार्वजनिक प्राधिकरण अपने सार्वजनिक कर्तव्य के गैर-निष्पादन का दोषी है और यह दिखाया गया है कि वह अपने संवैधानिक या वैधानिक कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि अदालत के माध्यम से कोई उपाय उपलब्ध नहीं है और एक आदेश जारी नहीं किया जा सकता है? तथापि, किसी कर्तव्य के निर्वहन के लिए मजबूर करने के लिए एक आदेश जारी करने के लिए, क़ानून की भाषा से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होना चाहिए कि एक कर्तव्य लगाया गया है, जिसका प्रदर्शन या गैर-प्रदर्शन केवल विवेकाधिकार का मामला नहीं है। लेकिन उन मामलों में भी जहां कर्तव्य विवेकाधीन है, जो एक वैधानिक दायित्व से अलग है, एक सीमित अधिदेश सार्वजनिक प्राधिकरण को एक उचित समय के भीतर ठोस कानूनी सिद्धांतों पर अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने का निर्देश जारी कर सकता है, न कि केवल सनक पर। इसलिए, यदि कार्यपालिका, जिस पर संविधान के तहत न्यायाधीशों की संख्या की आवधिक समीक्षा करने का कर्तव्य है, उस कर्तव्य के पालन में विफल रहती है, तो अनिवार्य आदेश एक उचित समय के भीतर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर सकता है। इसलिए, सैद्धांतिक रूप से, यह कहना संभव नहीं है कि यह मुद्दा पूरी तरह से न्यायालय के दायरे से बाहर है और इसका उपाय केवल विधायिका का दरवाजा खटखटाना है। हालाँकि, एक उचित नींव रखी जानी चाहिए क्योंकि न्यायालय एक निश्चित कर्तव्य के सम्मोहक प्रदर्शन का आदेश जारी करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने में बेहद धीमा होगा जब तक कि वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता है कि कार्यपालिका ने अपने संवैधानिक दायित्व पर ध्यान देने में पूरी तरह से चूक की है और उसे अपनी नींद से जागने की आवश्यकता है। लेकिन न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने की आड़ में यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसा कि तुलजापुरकर, जे. ने बताया है, कि न्यायपालिका इस कार्यकारी कार्य को अपने लिए नहीं छीनती है। लेकिन जैसा कि तुलजापुरकर, न्यायमूर्ति ने चेतावनी दी है कि कोई भी निर्देश तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि स्पष्ट और मजबूर करने वाली परिस्थितियों द्वारा मजबूर नहीं किया जाता है जो केवल तभी संभव होगा जब प्रत्येक उच्च न्यायालय की आवश्यक संख्या का पूर्ण, पूर्ण और सही मूल्यांकन उपलब्ध हो और शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।

105

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

413. न्यायाधीशों की संख्या में समय-समय पर संशोधन की आवश्यकता अनिवार्य रूप से अदालती मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए है; यदि मौजूदा रिक्तियों और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न नई रिक्तियों को तुरंत नहीं भरा जाता है तो पूरी कवायद अर्थहीन होगी। इस पर बार-बार जोर दिया गया है और भले ही प्रस्तावों से निपटने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रदान किया गया है, लेकिन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों द्वारा इसका पालन नहीं करने के कारण देरी जारी है। इसलिए हम मानते हैं कि यह मुद्दा केवल ऊपर दर्शाई गई सीमित सीमा तक न्यायसंगत है और जैसा कि एस. पी. गुप्ता के मामले में न्यायमूर्ति वेंकटरमैया द्वारा जारी सीमित रिट से प्रकट होता है और वह भी दुर्लभतम मामलों में जहां स्पष्ट और मजबूर करने वाली परिस्थितियां अदालत को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करती हैं। ”

(70) इस प्रकार, यह राज्य के मुँह में नहीं है कि आदेश जारी करने की शक्ति में तथ्यों और परिस्थितियों की कमी है। उच्च न्यायालय संवैधानिक प्राधिकरण होने के नाते और सिफारिशें बाध्यकारी होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार अभिनिर्धारित होने के कारण उच्च न्यायालय को यह निर्देश देने की शक्ति देगा कि सिफारिशों को विधिवत प्राथमिकता दी जाए और राज्य सरकार को उस पर कार्य करने का निर्देश दिया जाए। यह इस मुकदमे के उद्देश्य को विफल कर देगा यदि राज्य सरकार फिर से इस बात पर जोर देती है कि पदोन्नति इस आधार पर की जानी चाहिए कि साक्षात्कार में कट-ऑफ को नजरअंदाज किया जाए, जो पहले तय किया गया था। यह इस संदर्भ में और भी विनाशकारी होगा कि एक राज्य ने पहले ही उक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और पंजाब में 13 न्यायिक अधिकारियों को पहले ही उक्त पद पर पदोन्नत किया जा चुका है। हरियाणा राज्य को 106 तक अनुमति देने के लिए

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

कुमार बनाम भारत संघ और अन्य 41 जिसमें रेल मंत्रालय में भारत संघ द्वारा जारी बाध्यकारी परिपत्र में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियुक्ति का अनुदान नीतिगत विवेकाधिकार के दायरे में है और इसलिए इसे लागू किया जा सकता है और बाहरी कारणों से अस्वीकृति के परिणामस्वरूप न्याय का उल्लंघन होगा। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः -

“20. उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थी के दावे की अस्वीकृति रेल मंत्रालय में भारत संघ द्वारा तैयार किए गए बाध्यकारी नीति परिपत्र की शर्तों के विपरीत थी। निस्संदेह, अधिग्रहण के परिणामस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों को नियुक्ति का अनुदान एक ऐसा मामला है जो नीति विवेकाधिकार के दायरे में आता है। पॉलिसी के अभाव में कोई अनिवार्यता नहीं हो सकती है। हालाँकि, जहाँ केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान मामले की तरह एक नीति निर्धारित की गई है, वहाँ नीति की शर्तों को लागू किया जा सकता है। अपीलार्थी के दावे की अस्वीकृति बाहरी कारणों से और अप्रासंगिक विचारों पर आधारित थी। रेल मंत्रालय की सरकार ने एक नीति तैयार की। कार्यान्वयन की विफलता के परिणामस्वरूप सामाजिक न्याय की विफलता होती है। नीतिगत परिपत्र सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के ठोस प्रयास थे। अपीलार्थी को लाभ देने से इनकार करने से न्याय के लिए एक लंबा और कठिन मार्ग प्रशस्त हुआ है। ”

(71) इस प्रकार, इस पृष्ठभूमि में हमारी यह सुविचारित राय है कि विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में इस न्यायालय को यह निर्देश देने के लिए अनिवार्य किया गया है कि सिफारिशों को लागू किया जाए, एक बार अस्वीकृति उस आधार पर आधारित हो जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई है। इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के पक्ष में और राज्य सरकार के खिलाफ प्रश्न संख्या (ii) का उत्तर देने के बाद, हमारी यह सुविचारित राय है कि तदनुसार राज्य सरकार के खिलाफ दिनांक 1 की उच्च न्यायालय की सिफारिशों को स्वीकार करने और आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर इसे आवश्यक प्रभाव देने के लिए एक अनिवार्य रिट जारी की जानी चाहिए। तदनुसार, प्रश्न संख्या (iv) का उत्तर राज्य सरकार के विरुद्ध दिया जाता है।

41 2019 (5) एस. सी. सी. 91 शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

107

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

(73) मूल सरकारी फाइल को पंजीयक (न्यायिक) द्वारा फोटोकॉपी किया जाना चाहिए और इसे सील कर दिया जाना चाहिए और रिट याचिका के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और उसके बाद उचित रसीद के तहत सरकारी वकील को वापस कर दिया जाना चाहिए। रिपोर्टर-शिव्या सहगल